शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) भोपाल ने बांग्लादेश से अनुबंध खत्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने पर बांग्लादेश के साथ करार खत्म कर दिया है।

दरअसल, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल ने दो साल पहले बांग्लादेश का राजशाही विश्वविद्यालय से अनुबंध किया था। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इसे देखते हुए नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ने बांग्लादेश से करार समाप्त कर दिया है।

NLIU ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा- नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल ने बांग्लादेश के राजशाही विश्वविद्यालय के साथ एक शैक्षणिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान स्थिति और राष्ट्र के हित को देखते हुए, एनएलआईयू, भोपाल बांग्लादेश के राजशाही विश्वविद्यालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर रहा है।

ये भी पढ़ें: बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, मंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई है एसएलपी

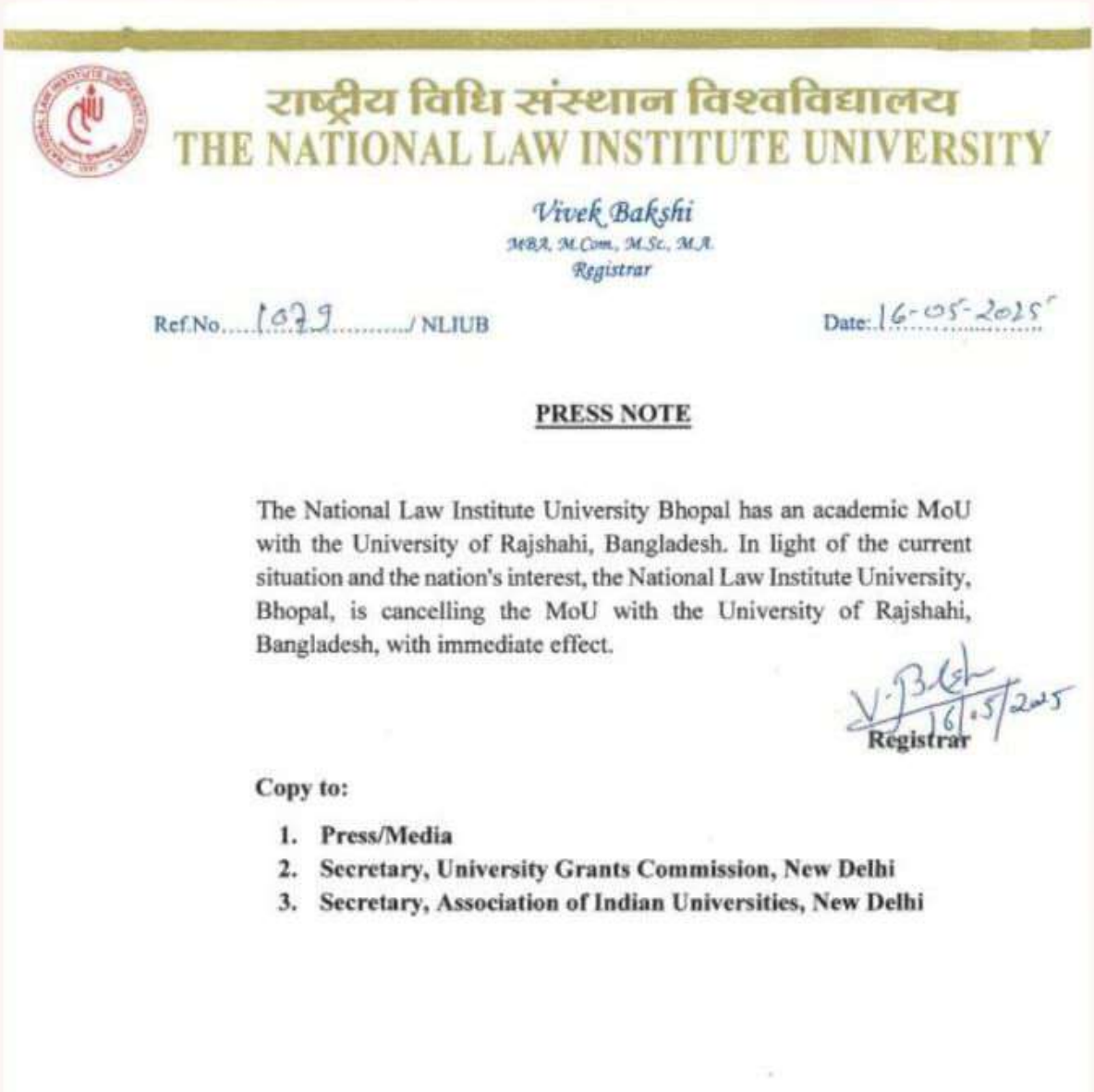

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय
THE NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY

Vivek Bakshi
MBA, M.Com., M.Sc., M.A.
Registrar

Ref.No. 1079 /NLIUB Date: 16-05-2025

PRESS NOTE

The National Law Institute University Bhopal has an academic MoU with the University of Rajshahi, Bangladesh. In light of the current situation and the nation's interest, the National Law Institute University, Bhopal, is cancelling the MoU with the University of Rajshahi, Bangladesh, with immediate effect.

V. Bakshi 16.5.2025
Registrar

Copy to:

1. **Press/Media**
2. **Secretary, University Grants Commission, New Delhi**
3. **Secretary, Association of Indian Universities, New Delhi**

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 25/11
Name of Newspaper
Naiduniya
Edition. Bhopal
Bhopal City
Date .14/04/2025
Page No. 01

धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जीवन के अधिकार की संरक्षक है न्यायपालिका

ला कान्क्लेव का समापन ● मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने रखी बात

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अगर सरकार लोगों के हित में बेहतर कार्य नहीं कर पाती है या कोई कानून नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय गाइडलाइन बनाता है। यह गाइडलाइन कानून हैं, जिनसे लोगों के अधिकारों का संरक्षण होता है। इसके बाद शासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस कानून का पालन कराए।

यह बात मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने रविवार को नेशनल ला इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआइयू) की स्टूडेंट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित ला कान्क्लेव के समापन पर कही। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का संरक्षक है। समाज में परिवर्तन के लिए न्यायापालिका ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब डिजिटल युग आ गया है। आपका डिजिटल जीवन कैसे सुरक्षित हो, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपका डाटा सार्वजनिक हो रहा है और आपकी निजता भंग हो रही है। इसके लिए भी न्यायापालिका अपनी भूमिका निभा रही है।

एनएलआइयू द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित पीयर-रिव्यूड विधि शोध-पत्रिका 'इंडियन ला रिव्यू' के नवीनतम संस्करण का विमोचन भी किया गया। केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसआर बन्जूरमठ, मप्र राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ मिश्रा व अमन हिंगोरानी सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन करना चाहिएः केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने इस बात पर बल दिया कि इस प्रकार के मंच विधि के विद्यार्थियों को गहन और अर्थपूर्ण सोच के साथ जटिल कानूनी मुद्दों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन व गाइडलाइन का अध्ययन करना चाहिए।

एनएलआइयू की स्टूडेंट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित ला कान्क्लेव के समापन पर उपस्थित विधि विशेषज्ञ। ● सौ : आयोजक

ला कान्क्लेव के समापन सत्र के दौरान मंच पर मौजूद विधि विशेषज्ञ। ● सौ : आयोजक

तीन सत्र में इन विषयों पर हुआ विचार-विमर्श

- सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता
- सर्वोच्च न्यायालय और धार्मिक अधिकार
- सर्वोच्च न्यायालय और जीवन के अधिकार के विकसित होते आयाम

Sr. 25/12
Name of Newspaper
Dainik Bhaskar
Edition. Bhopal
City Bhaskar
Date .14/04/2025
Page No. 02

एनएलआईयू-एसबीए लॉ कॉन्क्लेव... न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं व कानून विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

समाज में परिवर्तन का माध्यम बनी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

सिटी रिपोर्टर। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) भोपाल की ओर से आयोजित पहले एनएलआईयू-एसबीए लॉ कॉन्क्लेव में देशभर के न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानून विशेषज्ञों ने लॉ स्टूडेंट्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। दो दिनों के इस सम्मेलन का विषय था- 'बार, बेंच और बियॉन्ड', जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ।

नेतृत्व को बढ़ावा दें

एनएलआईयू के कुलपति प्रो. (डॉ.) एस. सूर्य प्रकाश ने कहा- एनएलआईयू-एसबीए लॉ कॉन्क्लेव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ओर से एक अत्यंत सराहनीय पहल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स विधिक नेतृत्व और गंभीर चिंतन की संस्कृति को बढ़ावा दें। एसबीए अध्यक्ष यशपाल जाखड़ ने इसे स्टूडेंट्स की सोच और क्षमता का प्रमाण बताते हुए कहा- यह आयोजन केवल सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा का उत्सव नहीं था, बल्कि आधुनिक विधिक सोच को जोड़ने का प्रयास भी था।

तीन सत्रों में रखे विचार

तीन प्रमुख सत्रों में- सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता, धार्मिक अधिकार और जीवन के अधिकार के विकसित होते आयाम जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार रखे। मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने कहा- सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका केवल न्याय वितरण तक सीमित नहीं रही, समाज में परिवर्तन का माध्यम बनकर उभरी है। पूर्व कुलपति प्रो. (डॉ.) वी. विजयकुमार ने कहा- कानूनी स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे केवल शास्त्रीय अध्ययन तक सीमित न रहें, बल्कि न्याय और नैतिकता के गहरे बिंदुओं को भी समझें।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 25/09
Name of Newspaper

Times of India
Edition. Bhopal
Bhopal City
Date .14/04/2025
Page No. 03

Celebrating 'bar, bench & beyond': Curtains on NLIU-SBA law conclave

TIMES NEWS NETWORK

The event featured the launch of Indian Law Review, NLIU's yearly peer-reviewed publication

Bhopal: The two-day NLIU-SBA Law Conclave concluded on Sunday. The Student Bar Association (SBA), which functions as NLIU's primary student body, coordinated this gathering under the theme 'Bar, Bench and Beyond' to mark the Supreme Court of India's 75th anniversary.

Distinguished judges, legal professionals, senior advocates, and academics from across India participated in the two-day programme. These sessions provided valuable learning experiences for NLIU students and attendees, facilitating constructive dialogues on contemporary legal matters. The occasion also featured the launch of the latest Indian Law Review, NLIU's yearly peer-reviewed publication.

The presenters praised the SBA's coordination efforts. Vice-Chancellor Prof Dr S Surya Prakash stated: "The 1st NLIU-SBA Law Conclave was a remarkable initiative by our students, aligning perfectly with our vision to cultivate critical thought and leadership in the legal fraternity. As we celebrate 75 years of the Supreme Court's legacy, it is heartening to see our students take the lead in driving such meaningful conversations. I congratulate the SBA and the entire NLIU community on this resounding success."

SBA president Yashpal Jakhar remarked: "Organising the first-ever NLIU-SBA Law Conclave was both a challenge and an honour. We aimed to create a platform that not only celebrated the journey of the Supreme Court but also empowered young minds to engage with evolving legal paradigms. The overwhelming response from dignitaries and participants alike has strengthened our resolve to institutionalise this Conclave as an annual tradition."

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 25/08
Name of Newspaper
Naiduniya
Edition. Bhopal
Bhopal City
Date .30/03/2025
Page No. 01, 01

देश के कानून में महाभारत और गीता के सिद्धांतों को किया जाना चाहिए शामिल

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल ने ला कान्क्लेव में रखे विचार, कहा- धर्म की राह पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने धार्मिक ग्रंथों में मिली न्याय की प्राचीन अवधारणाओं और सिद्धांतों को देश के कानून में शामिल करने की वकालत की है। शनिवार को भोपाल के नेशनल ला इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआइयू) के ला कान्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथ महाभारत से न्याय को सबसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

एनएलआइयू भोपाल की स्टूडेंट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित दो दिवसीय ला कान्क्लेव के उद्घाटन सत्र में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदर्शवाक्य है "यतो धर्मस्ततो जयः"। इसका मतलब है 'जहां धर्म है, वहां जीत है।' भारत के प्राचीन धर्मग्रंथों में भी धर्म के जीत की बात कही गई है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत का गांधारी प्रसंग है। गांधारी अपने पुत्रों दुर्योधन या युधिष्ठिर को आशीर्वाद देती थीं कि जो धर्म की राह पर चले, उसकी जीत हो। धर्म की राह पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है।

- नेशनल ला इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में धर्म के पालन का महत्व भी समझाया

न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा कि अभी तक हम दूसरे देशों के कानून अपनाते आ रहे हैं, जबकि हमारे धर्मग्रंथ महाभारत व गीता से न्याय को अच्छी तरह समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति को न्याय व्यवस्था में अपनाना होगा। उनकी अवधारणाओं और सिद्धांतों को भारत के कानून में शामिल करना होगा। कान्क्लेव में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत भी शामिल हुए।

(नवदुनिया सिटी भी पढ़ें)

पारंपरिक विवाद निपटान प्रणालियों पर भी जोर

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने भारत की पारंपरिक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणालियों के महत्व को रेखांकित किया। उनका कहना था कि कुछ मामलों में ये आज भी प्रासंगिक हैं। उन्हें आधुनिक तकनीकी विधियों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।

एनएलआइयू के दो दिवसीय ला कान्क्लेव को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल। ● नवदुनिया

आयोजन में कई उच्च न्यायालयों के जज शामिल

ला कान्क्लेव में मप्र हाई कोर्ट के जज विवेक अग्रवाल, केरल हाई कोर्ट के जज दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसआर बन्जुरमठ, आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केजी शंकर, बाम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरएम बोर्डे जैसे न्यायाधीश, कई कानूनविद और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हुए थे।

इन पांच विषयों पर मंथन: कान्क्लेव के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों से निकले पांच प्रमुख विषयों पर परिचर्चा हुई। इसमें संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, न्यायिक सक्रियता, धार्मिक अधिकार, डिजिटल अधिकार और जीवन के अधिकार का विकसित होता आयाम मुख्य विषय रहे।

'वकालत केवल एक पेशा नहीं बल्कि यह आजीवन समर्पण है'

ला कान्क्लेव ● एनएलआइयू में मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कानून के विद्यार्थियों को दी नसीहत

- उद्घाटन सत्र को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने किया संबोधित
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल
- ला कान्क्लेव में कई विधि विशेषज्ञों ने भी लिया हिस्सा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कानून केवल एक पेशा नहीं, बल्कि आजीवन समर्पण है। किसी भी केस में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और मजबूत तर्क के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की ही जीत होती है।

यह बात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने नेशनल ला इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआइयू) भोपाल में कही। वे स्टूडेंट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित ला कान्क्लेव-2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की उस भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि इस संस्थान ने भारत की नैतिक और विधिक संरचना को आकार दिया। यह कान्क्लेव सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इसमें देश भर के विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं ने कानून को एक साझा मंच पर संवाद, चिंतन और विचार-विमर्श कर विद्यार्थियों को प्रेरित किया।

यह कान्क्लेव सर्वोच्च न्यायालय की ऐतिहासिक यात्रा, भारतीय लोकतंत्र के निर्माण में उसकी भूमिका, विधि और समाज पर उसके सतत प्रभाव पर केंद्रित रही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने मुख्य अतिथि के तौर पर कान्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसआर बन्जुरमठ, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केजी शंकर, बाम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरएम बोर्डे, मध्यप्रदेश राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ मिश्रा और अमन हिंगोरानी, एनएलआइयू के कुलपति एस सूर्यकुमार सहित बड़ी संख्या में विशेषज्ञ और विद्यार्थी शामिल हुए।

एनएलआइयू में आयोजित ला कान्क्लेव में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित कई विधि विशेषज्ञ शामिल हुए। ● सौजन्य : आयोजक

मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत।

समारोह में बड़ी संख्या में शहर के विधि विशेषज्ञ भी शामिल हुए। ● सौ : आयोजक

इन विषयों पर हुई परिचर्चा : इस अवसर पर छह प्रमुख पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, न्यायिक सक्रियता, धार्मिक अधिकार, डिजिटल अधिकार और जीवन के अधिकार का विकसित होता आयाम मुख्य विषय के रूप में शामिल किए गए थे।

यह कान्क्लेव भविष्य को गढ़ने का एक मंच है : इस दौरान एसबीए अध्यक्ष यशपाल जखड़ ने कहा कि यह कान्क्लेव केवल न्यायपालिका के अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि उसके भविष्य को गढ़ने का एक मंच भी है। एक कानून विद्यार्थी के रूप में हमें न्याय, जवाबदेही और सेवा के उन मूल्यों से जुड़े रहना होगा जो हमारी विधिक प्रणाली की नींव हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का करें विश्लेषण

मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल।

मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कानून के विद्यार्थियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को तीन चरणों-1950 से 1975, 1975 से 2000, और 2000 से 2025 में विभाजित कर उनके क्रमिक विकास का विश्लेषण करने का सुझाव दिया। उन्होंने बल दिया कि सभी न्यायिक संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में स्वयं को पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि "बार, बेंच एंड बियान्ड" जैसे आदर्श वाक्य को भी जनसेवा की भावना के अनुरूप

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 25/09
Name of Newspaper
Times of India
Edition. Bhopal
Bhopal City
Date .13/04/2025
Page No. 01, 01

NLIU Conclave '25 celebrates SCI's 75th anniversary

Ramendra.Singh
@timesofindia.com

MPHC Chief Justice Suresh Kumar Kait addressing the opening ceremony NLIU-SBA Conclave, on Saturday

Bhopal: The NLIU-SBA Law Conclave 2025 commenced on Saturday at the NLIU campus. The event, organised by NLIU's Student Bar Association, commemorates the Supreme Court of India's 75th anniversary. The event, under the theme "Celebrating 75 Years of Supreme Court of India", aims to examine the court's evolution, its role in democracy, and its influence on society.

The agenda features six panel discussions centred on five crucial themes: Basic Structure, Judicial Activism, Religious Rights, Digital Rights, and the expanding interpretation of the Right to Life. Prominent legal experts attended the inaugural session, offering insights into the Supreme Court's jurisprudential evolution over 75 years.

Justice Vivek Agrawal, MP High Court Judge and NLIU Bhopal General Council Member, described the conclave as an "important milestone" in the Supreme Court's legacy. He endorsed a service-focused judicial approach, noting that "Bar, Bench and Beyond" might need reinterpretation to reflect the judiciary's public service commitment.

Justice Suresh Kumar Kait, Chief Justice of MP High Court and NLIU Bhopal Chancellor, termed the event "profound and timely". He addressed the Supreme Court's vital role in shaping India's ethical and legal foundations, emphasising the importance of compassion, logic, and modesty in judicial practice.

Yashpal Jakhar, Student Bar Association President, expressed gratitude for the guests' guidance and outlined the conclave's objectives.

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 25/10
Name of Newspaper
Dainik Bhaskar City
Edition. Bhopal
Date .13/04/2025
Page No. 02

न्यायिक चिंतन और विमर्श का सशक्त मंच बना पहला एनएलआईयू-एसबीए लॉ कॉन्क्लेव

कानून केवल पेशा नहीं, बल्कि आजीवन समर्पण है : न्यायाधीश कैत

सिटी रिपोर्टर। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) भोपाल में आयोजित पहले एनएलआईयू-एसबीए लॉ कॉन्क्लेव का उद्घाटन न्यायिक चिंतन और विमर्श का सशक्त मंच बना। विशेषज्ञों ने भारतीय न्यायपालिका की बदलती भूमिका पर चर्चा की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट की 75 सालों की न्यायिक यात्रा को तीन चरणों में विभाजित कर उसका विश्लेषण करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा- न्यायिक संस्थानों को 'सेवा प्रदाता' के रूप में पुनर्परिभाषित करना समय की मांग है और 'बार, बेंच एंड बियॉन्ड' जैसे आदर्श वाक्य को भी जनसेवा की भावना से पुनः व्याख्यायित करने की जरूरत है।

पंकज मित्तल

विवेक अग्रवाल

सुरेश कुमार कैत

आधुनिक तकनीकों का करें इस्तेमाल

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने स्टूडेंट्स से कहा- कानून केवल पेशा नहीं, आजीवन समर्पण है। उन्होंने संवेदनशीलता, तर्क और विनम्रता को न्याय का मूल बताया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने न्यायपालिका की वैधता को धर्म और जनसेवा में निहित बताते हुए भारतीय पारंपरिक न्याय प्रणाली को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने का सुझाव दिया। इस प्रकार, यह आयोजन न्याय, नैतिकता और सेवा के मूल्यों को पुनः जाग्रत करने का प्रेरणास्रोत बना।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 25/06
Name of Newspaper
Naiduniya
Edition. Bhopal
Date .30/03/2025
Page No. 20

डिजिटल युग में पुस्तकालय संग्रह को संतुलित बनाएं

नप्र,भोपाल : एनआइटीटीटीआर भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय और उभरती हुई प्रौद्योगिकी विषय पर प्रशिक्षण के दौरान कालेजों में पुस्तकालयाध्यक्षों ने राष्ट्रीय विधि संस्थान विवि (एनएलआइयू) के ज्ञान मंदिर पुस्तकालय का शैक्षिक भ्रमण किया। इसका आयोजन एनआइटीटीटीआर के पुस्तकालयाध्यक्ष संजय त्रिपाठी के निर्देशन में किया गया। इस दौरान सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष कोमल पटेल और मोहित गुप्ता ने आधुनिक पुस्तकालयों में उपयोग होने वाले पारंपरिक एवं अपारंपरिक संसाधनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ई-संसाधनों एवं ई-पुस्तकालयों के महत्व पर बताया कि डिजिटल युग में पुस्तकालय संग्रह को संतुलित बनाए रखना आवश्यक है।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 25/04
Name of Newspaper
Dainik Bhaskar
Edition. Bhopal
Date .27/02/2025
Page No. 07

NLIU ने पलटा फैसला : अब बीए एलएलबी की पूरी सीटों पर एडमिशन

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण सीट कम करने का लिया था निर्णय

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएल आईयू) भोपाल ने अपने पहले के फैसले को बदलते हुए बीए एलएलबी (ऑनर्स) प्रोग्राम की सभी 120 सीटों पर एडमिशन देने और बीएससी एलएलबी (ऑनर्स) साइबर सिक्योरिटी में भी प्रवेश जारी रखने का निर्णय लिया है। यह फैसला हाल ही में हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल (ईसी) की बैठक में लिया गया। इससे पहले एनएलआईयू ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का हवाला देते हुए बीए एलएलबी की सीटें घटाकर 60 करने और बीएससी एलएलबी प्रोग्राम को सत्र 2025-26 के लिए बंद करने का फैसला किया था। इस विषय को ईसी बैठक में फिर रखा गया था। एनएलआईयू के बदले इस निर्णय से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी है और अब विश्वविद्यालय अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ शैक्षणिक सत्र को संचालित करेगा। सत्र 2025-26 से ही ऐसा हो सकेगा।

इसके लिए एनएलआईयू द्वारा एडमिशन काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स को अपडेट कराया जा सकेगा। इसमें पिछले सत्र की तरह बीए एलएलबी की 120 सीट और बीएससी एलएलबी की 60 सीट पर एडमिशन दिए जाएंगे। इसी मेंबर व वरिष्ठ अधिवक्ता विजय चौधरी ने कहा कि दोनों कोर्सेस को पहले की तरह री-स्टोर करने का प्रस्ताव रखा गया। ताकि स्टूडेंट्स को प्रवेश के अधिक अवसर मिलें उन्हें नुकसान न हों। गौरतलब है कि एनएलआईयू द्वारा सीट कम करने के निर्णय को लेकर दैनिक भास्कर ने 12 दिसंबर 2024 को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था।

फैसले पर छात्रों की प्रतिक्रिया...

छात्रों और विशेषज्ञों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट्स का मानना है कि बीएससी एलएलबी कोर्स को जारी रखना जरूरी था, क्योंकि अभी तक इस प्रोग्राम का कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है और इसे बंद करने से प्लेसमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी की बढ़ती मांग के चलते इसे जारी रखना सकारात्मक कदम है।

स्थगित है काउंसलिंग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लेट-2025 की अंडरग्रेजुएट परीक्षा में दो प्रश्नों में त्रुटि पाते हुए कंसोर्सियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (सीएनएलयू) को संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने सेट A के प्रश्न संख्या 14 के लिए विकल्प C को सही मानते हुए सभी संबंधित उम्मीदवारों को अंक प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रश्न संख्या 100 को अमान्य करार देते हुए इसे मूल्यांकन से बाहर रखने का आदेश दिया है। इसके कारण क्लेट-2025 की मेरिट सूची में बदलाव होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया को संशोधित परिणाम जारी होने तक स्थगित कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जा रहा है। नए हॉस्टल के निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं, जिससे भविष्य में छात्रों को रहने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे जून-जुलाई तक ऑपरेशनल मोड में लाया जा सकेगा। इसके अलावा एक हॉस्टल कैंपस के बाहर भी संचालित की जाएगी।
विवेक बख्शी, रजिस्ट्रार, एनएलआईयू

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 24/75
Name of Newspaper
Patrika
Edition. Bhopal
Date .02/09/2024
Page No. 13

पत्रिका

03 पत्रिका
भोपाल, सोमवार, 02 सितंबर 2024

#NLIU देश की पहली यूनिवर्सिटी जहां छात्रों के लिए जजमेंट अलर्ट सेवा, लाइब्रेरी में लगाई गयी बड़ी स्क्रीन

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऑनलाइन देख सकेंगे स्टूडेंट

पत्रिका उमा प्रजापति
patrika.com

एक्सक्लूसिव

भोपाल. कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) ने देश की पहली जजमेंट अलर्ट सेवा शुरू की है, जो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसलों और प्रक्रियाओं से सीधे जोड़ती है। कानूनी अध्ययन को नया आयाम मिल सकता है और छात्रों को अदालतों की गतिविधियों का लाइव अपडेट प्राप्त होगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन मोहित गुप्त एवं कोमल पटेल ने बताया कि एनएलआइयू की लाइब्रेरी में एक बड़ी स्क्रीन लगाई है, जहां अदालती गतिविधियों को देख सकते हैं। साथ ही, छात्रों को इस सेवा की लिंक भी प्रदान की जाती है, ताकि वे कहीं भी और कभी भी अदालती मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में करीब 900 विद्यार्थी इस सेवा का लाभ ले रहे हैं।

क्या है जजमेंट अलर्ट?

जजमेंट अलर्ट एक विशेष सेवा है जो अदालतों में चल रहे मामलों की ताजगी से जानकारी प्रदान करती है। इसमें नए मामलों की जानकारी छात्रों को दी जाती है। जब भी नए मामले दर्ज होते हैं, छात्रों को सूचित किया जाता है। सुनवाई की तारीखें आने वाली सुनवाई की तारीखें छात्रों को समय पर बताई जाती हैं।

मिलने वाले लाभ

- छात्र अदालती फैसलों की ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके शोध और अध्ययन में सहायक हो सकती है।
- **मामलों की प्रगति पर नजर:** छात्रों को मामलों की प्रगति की जानकारी मिलती है, जिससे वे अदालती प्रक्रियाओं को बेहतर समझ सकते हैं।
- **निर्णयों का विश्लेषण:** छात्र निर्णयों का विश्लेषण कर सकते हैं और कानूनी दाव-पेंच को समझ सकते हैं।
- **प्रोफेशनल ज्ञान:** यह सेवा कानूनी पेशेवर बनने की दिशा में छात्रों को जरूरी ज्ञान और कौशल प्रदान करती है।

16 हजार स्टूडेंट्स को अलाटमेंट जारी

भोपाल. तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) ने प्रदेश के 209 एमबीए कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए रविवार को दूसरे चरण का अलाटमेंट जारी कर दिया है। दूसरे राउंड में करीब 16 हजार स्टूडेंट्स को सीटें आवंटित की गई हैं। पहले राउंड के बाद करीब 48 हजार से अधिक सीटें खाली हैं। एमबीए की प्रथम राउंड की काउंसलिंग में महज डेढ़ हजार स्टूडेंट्स ने ही प्रवेश लिए हैं। जबकि प्रदेश के 209 कॉलेजों में करीब 50 हजार सीटें मौजूद हैं। स्थिति यह है कि पहले राउंड की काउंसलिंग में प्रवेश लेने 178 कॉलेजों में एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश ही नहीं लिया।

02/09/2024 | Bhopal | Page : 5
Source : https://epaper.patrika.com/

Sr. 24/66
Name of Newspaper
Raj Express
Edition. Bhopal
Date .10/08/2024
Page No. 04

एनएलआईयू में हुई काव्य प्रतियोगिता विवि को बनाया गया रीडिंग जोन

भोपाल। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, एनएलआईयू में शुक्रवार को ज्ञान मंदिर, विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासनिक कर्मचारियों, सफाई व सुरक्षा कर्मचारियों के लिए काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरा विश्वविद्यालय प्रांगण एक पुस्तकालय की तरह था जिसमें कोई भी पाठक अपनी इच्छानुसार कहीं भी बैठकर पढ़ सकता था और इस अवधि में सम्पूर्ण विवि एक रीडिंग जोन घोषित था। कार्यक्रम को सार्थक बनाने हेतु विभिन्न सेल्फी पॉइंट्स, एक बोर्ड लगाया गया, जिसमें पाठकों को उनकी पसंदीदा पुस्तक, किरदार के बारे में लिखना था काव्य पाठ प्रतियोगिता में जज की भूमिका प्रो. बीरपाल सिंह, डॉ.मनीष यादव डॉ. पूजा कियावत ने निभाई। यह नवाचार कुलपति प्रो. एस सूर्यप्रकाश, कुलसचिव विवेक बक्षी एवं परीक्षा नियंत्रक मनीष बहुगुणा के मार्गदर्शन में मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

Sr.24/67
Name of Newspaper
The Pioneer
Edition Bhopal
Date 10/08/2024
Page No. 02

NLIU Bhopal organises drop everything and read for 30 minutes

STAFF REPORTER ■ BHOPAL

National Law Institute University Bhopal, on Friday taken a unique initiative and organized Drop Everything and Read (D.E.A.R.) and Poem Recital competition for administrative staff and Out sourcing employees.

This program was organized by Gyan Mandir (The University Library) to celebrate the Book Lovers' Day, International Day of the World's Indigenous Peoples, and Quit India Movement Day in the D.E.A.R. saw a 30-minute reading session across campus, involving faculty, administrative staff, guards, and students engrossed in reading books, newspapers, magazines, or any material of their choice. The aim was to integrate reading into daily routines.

The objective of this program was to reduce gap between books and readers which is happening due to addiction/over usage of social media and disruptive technologies. This Program aims to redevelop the habit of reading in the readers and attract them towards books.

During this program from 4 pm to 4.30 pm the entire university campus turned like a library in which any reader could sit anywhere as per their choice and read as per his wish and the reading material has distributed among all as per their choice. Further during this period, the entire university was declared a reading zone and all regular work/programs were postponed during the period.

To make program popularized and meaningful Various selfie points were installed, A special board was set up with thought-provoking questions for participants to engage with, such as their favorite book/Character they relate most across genres and the hypothetical title of a book they would write. Further Bookmarks were distributed among the readers. Over 900 individuals enthusiastically participated in the event, indicating its success and potential for future iterations.

A Poem recital competition was held on 09 August 2024 At 3:00pm To 04:00pm in which more than 60 employees of the university, Conservancy Staff and Out-Sourcing Staff of The University have actively participated And Recited Poem on various Themes of the Programs In these program, all the officers, teachers, employees, Conservancy Staff, security personnel, Students of the university participated enthusiastically. The inspiration for these events was given by Vice-Chancellor Prof S Surya Prakash and Registrar Vivek Bakshi, Controller of Exam Manish Bahuguna ,outlined and executed by Mohit Gupta, Library Incharge, assisted by Komal Patel, Madan Mohan Singh Binay Singh along with all the library staff in and other members of the NLIU Community.

Sr. 24/68
Name of Newspaper
Dainik Bhaskar
Edition. Bhopal
(City Bhaskar)
Date 10/08/2024
Page No. 01

एनआईआरएफ की दौड़ में आगे रहने के लिए संस्थानों का प्रयास

NIRF रैंकिंग सुधारने... SPA में खुली लैब, मैनिट ने किए पीएचडी कोलेबोरेशन, एनएलआईयू में मोबाइल लाइब्रेरी शुरू

सिटी रिपोर्टर। नेशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) एक ऐसा पैमाना है जिसकी रैंकिंग यह साबित करती है कि किसी भी एजुकेशनल संस्थान या रिसर्च इंस्टिट्यूट का लोगों के बीच में परसेप्शन और वहां की सुविधाएं कैसी हैं? भोपाल में मौजूद इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और लॉ से जुड़े नेशनल लेवल के कॉलेजों की पिछले सालों की रैंकिंग में लगातार गिरावट देखने मिली है। ऐसे में इस बार इंस्टिट्यूट अपने-अपने ढंग से इस रैंकिंग को अपग्रेड करने के प्रयासों में जुट हुए हैं। इस बार एनआईआरएफ की दौड़ में आगे रहने के लिए इन संस्थानों ने क्या क्या, जानिए...

मैनिट : पहली बार शुरू हुई पार्ट टाइम पीएचडी

पीएचडी में एडमिशन बढ़ाने मैनिट ने सीपेट के साथ रिसर्च टाइअप किया।

एनआईआरएफ रैंकिंग को अपग्रेड करने के लिए मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) में यूं तो कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लेकिन, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पीएचडी में एडमिशंस। पीएचडी में स्टूडेंट्स के लिए एडमिशंस बढ़ाने के लिए पहली बार पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब वे स्टूडेंट्स भी पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अभी तक मैनिट में पीएचडी की 150 सीटें थीं, जिन्हें इस साल से 400 कर दी गई हैं। इसमें 200 सीटें पीएचडी पार्ट टाइम वालों के लिए हैं। इस बार पहले ही इनटेक में 195 सीटें भर चुकी हैं। डीन इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस डॉ. एसपीएस राजपूत ने बताया- पीएचडी में एडमिशंस बढ़ाने के लिए ही मैनिट ने सीपीआरआई व सीपेट के साथ रिसर्च टाइअप किया है।

एसपीए : स्टूडियो में रीसेंट इनोवेशंस और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर होगा काम

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) भोपाल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार मशीष विनायक जोकरकर ने बताया- हमारी रैंकिंग अपग्रेड करने के लिए इस साल हमने कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है, जिससे सोसायटी को सीधा बेनिफिट मिल सकेगा। इसके अलावा नया एकेडमिक ब्लॉक आने की वजह से अब हमारे नए कैंपस में सुविधाएं बढ़ गई हैं। ओपन थिएटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी स्पेस के अलावा यहां अब आर्किटेक्चर और डिजाइन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए दो नए स्टूडियो (लैब) शुरू हो गए हैं, जहां स्टूडेंट्स रीसेंट इनोवेशंस और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं।

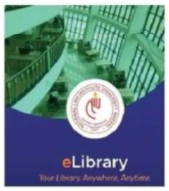

एनएलआईयू : लाइब्रेरी की लाखों किताबें मोबाइल पर आईं

एनएलआईयू के कुलपति एस. सूर्यप्रकाश ने बताया- एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए इस साल कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर में कई अपडेट किए हैं। कैंपस की लाइब्रेरी को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। एनएलआईयू के लाइब्रेरी एप से अब लाखों किताबें स्टूडेंट्स मोबाइल से ही एक्सेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी इतनी अपडेटेड रहती है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन स्टूडेंट्स के पास शाम तक अवेलेबल हो जाते हैं। रिसर्च में क्रेडिट स्कोर बढ़ सके, ऐसे में 9 नए फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट किया गया है, जिनके रिसर्च पेपर्स काफी फेमस जनरल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। रिसर्च, रिव्यू व रीडर सेल शुरू की गई है। इसमें लॉ में इंटर-डिसिप्लिनरी रिसर्च पर काम किया जाएगा।

Sr. 24/69
Name of Newspaper
Dainik Bhaskar
Edition. Bhopal
Date .10/08/2024
Page No. 01

जर्मनी में प्रतियोगिता, 140 टीमें हुईं शामिल

न्यूरमबर्ग मूट कोर्ट प्रतियोगिता में रनरअप रही भोपाल की टीम

सिटी रिपोर्टर . भोपाल

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) के स्टूडेंट्स ने जर्मनी में हुई इंटरनेशनल न्यूरमबर्ग मूट कोर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसमें दुनियाभर की 140 टीमों शामिल हुईं। इसमें से एनएलआईयू भोपाल की टीम उपविजेता चुनी गई। न्यूरमबर्ग मूट कोर्ट प्रतियोगिता जर्मनी में हर साल होती है। प्रतियोगिता के दौरान 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' के समक्ष एक काल्पनिक मामले पर बहस करने के लिए दुनियाभर से विश्वविद्यालयों की टीमों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में दो क्वालीफाइंग राउंड थे और दोनों राउंड में उत्तीर्ण होने वाली टीमों को वर्ल्ड राउंड के लिए चुना जाता है, जोकि न्यूरमबर्ग जर्मनी में आयोजित होती है। पहले क्वालीफाइंग राउंड में हर टीम को प्रेरणा पत्र दिया गया। दूसरे राउंड में टीमों को दो रिटन टेस्ट देने होते हैं। इसमें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के लिए लीगल स्टेटमेंट तैयार करना होता, जोकि मूट कोर्ट में दी गई केस-स्टडी पर बेस्ड होता है। वर्ल्ड राउंड 24 जुलाई से 27 जुलाई तक न्यूरमबर्ग में हुआ।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 24/70
Name of Newspaper
Dainik Jagran
Edition. Bhopal
Date 10/08/2024
Page No. 02

एनएलआईयू में किया गया काव्य पथ का आयोजन

भोपाल। राजधानी स्थित एनएलआईयू (राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय) में विश्व आदिवासी दिवस एवं पुस्तक प्रेमी दिवस पर काव्य पथ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें डीईएआर एवं प्रशासनिक कर्मचारियों, सफाई व सुरक्षा कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के युग में पुस्तकों और पाठकों के बीच दूरी को कम करना एवं पाठकों में फिर से पढ़ने की आदत को विकसित करना है,जिससे वे एक बार फिर से पुस्तकों की ओर आकर्षित हो सके। कार्यक्रम के दौरान पूरा विश्वविद्यालय प्रांगण एक पुस्तकालय कि तरह था जिसमें कोई भी पाठक अपनी इच्छानुसार कहीं भी बैठकर पढ़ सकता था और इस अवधि में सम्पूर्ण विश्वविद्यालय एक रीडिंग जोन घोषित था। इस दौरान समस्त नियमित कार्य स्थगित रहे। कार्यक्रम को लोकप्रिय एवं और सार्थक बनाने हेतु विभिन्न सेल्फी पॉइंट्स के अलावा एक बोर्ड भी लगाया गया जिसमे पाठको से उनकी पसंदीदा पुस्तक, किरदार के बारे में लिखना था साथ ही यह भी लिखना था कि यदि वह पुस्तक लिखते तो उसका क्या शीर्षक होता, सभी पाठको को पुस्तक चिन्ह वितरित किये गये जिस पर विभिन्न पढने से सम्बंधित उद्धाहरण अंकित थे। काव्य पाठ प्रतियोगिता में जज की भूमिका प्रो0 बीरपाल सिंह, डॉ0 मनीष यादव , डॉ पूजा कियावत ने की।

Sr. 24/71
Name of Newspaper
पीपुल्स समाचार
Edition. - **भोपाल**
Date – **11/08/2024**
Page No.- **05**

कर्मचारियों से गार्ड तक ने किया काव्य पाठ

एनएलयूआई में पुस्तक प्रेमी दिवस पर पूरा परिसर बना पुस्तकालय

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) में कार्यक्रम में विवि के प्रशासनिक कर्मचारियों-अधिकारियों से लेकर सफाई व सुरक्षा में लगे गार्ड तक को खुला मंच प्रदान किया गया। इसमें सभी ने कविता पाठ करके प्रतिभा का प्रदर्शन किया। परिसर को एक घंटे तक पुस्तकालय बना दिया था।

पुस्तकालय (ज्ञान मंदिर) में पुस्तक प्रेमी और विश्व आदिवासी दिवस पर ड्राप एव्हरीथिंग एंड रीड (डीईएआर) एवं प्रशासनिक कर्मचारियों, सफाई, सुरक्षा कर्मियों हेतु काव्य पाठ प्रतियोगिता हुई। कोई कहीं भी बैठकर पढ़ सकता था। नियमित कार्यक्रम इस अवधि में स्थगित थे। कार्यक्रम में विभिन्न सेल्फी पॉइंट्स बनाने के साथ एक बोर्ड लगाया गया। इसमें पाठकों से उनकी पसंदीदा पुस्तक, किरदार के बारे में लिखना था। प्रतियोगिता में जज प्रो. बीरपाल सिंह, डॉ. मनीष यादव, डॉ. पूजा कियावत रहे। विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी छात्र-छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया गया। यह नवाचार कुलपति प्रो. एस सूर्यप्रकाश, कुलसचिव विवेक बक्षी, परीक्षा नियंत्रक मनीष बहुगुणा के मार्गदर्शन में किया गया।

Sr. 24/72
Name of Newspaper
पत्रिका
Edition. - **भोपाल**
Date – **13/08/2024**
Page No.- **13**

एनएलआइयू में काव्य पथ प्रतियोगिता

भोपाल ZOOM रिपोर्टर

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआइयू) में काव्य पथ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के युग में पुस्तकों और पाठकों के बीच की दूरी को कम करना है। इस कार्यक्रम के दौरान पूरा विश्वविद्यालय प्रांगण एक पुस्तकालय की तरह था, जिसमे कोई भी पाठक अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बैठकर पढ़ सकता था। इसको लोकप्रिय और सार्थक बनाने के लिए विभिन्न सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए। इसमें जज की भूमिका प्रो. बीरपाल सिंह, डॉ. मनीष यादव, डॉ. पूजा कियावत ने निभाई।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 24/73
Name of Newspaper
People Samachar
Edition. Bhopal
Date .14/08/2024
Page No. 13

भोपाल बना शिक्षा का केंद्र, यूपीएससी से लेकर नीट, क्लेट की कोचिंग भी यहीं

राष्ट्रीय स्तर के दर्जन भर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज से शिक्षा की राह हुई आसान

रामचन्द्र पाण्डेय • भोपाल
मो.नं. 9893231237

राजधानी तेजी से एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो रही है। दो दशक पहले तक भोपाल में बरकतउल्ला विवि, मैनिट सहित तीन सरकारी विवि ही थे। वहीं कॉलेजों की संख्या भी एक दर्जन थी। इन्हीं के भरोसे उच्च और तकनीकी शिक्षा का दारोमदार था। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सीमिति चॉइस थी। आज न केवल सरकारी, निजी विवि और कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, बल्कि कई ऐसे कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जॉब के अवसर ज्यादा हैं। पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स दिल्ली, कोटा सहित बड़े शहरों की ओर रुख करते थे। आज भोपाल में यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम सहित बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। सामान्य कोर्सों के अलावा नीट, नेट, क्लेट, एमपीपीएससी, यूपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सौ से अधिक कोचिंग संस्थान हैं।

राजधानी में 5 सरकारी और 12 निजी विवि : 2003 से पहले भोपाल में केवल तीन सरकारी पारंपरिक और एक तकनीकी विश्वविद्यालय थे। पारंपरिक विवि में बरकतउल्ला विवि, भोज मुक्त विवि और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विवि जबकि तकनीकी में मैनिट और आरजीपीवी शामिल थे। अब इंजीनियरिंग के दर्जनों प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं। देश का एकमात्र हिंदी विवि भी भोपाल में स्थापित है। वर्ष 2009 में निजी विवि आयोग का गठन होने के बाद राजधानी में ही पीपुल्स विश्वविद्यालय सहित 12 प्राइवेट विवि संचालित हो रहे हैं। वहीं कॉलेजों की संख्या 200 के आसपास है।

एनएलआईयू

कानून की पढ़ाई के लिए नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) की देश भर में पहचान है। प्रदेश सरकार द्वारा 1997 में नेशनल लॉ स्कूल सिस्टम के तहत स्थापित यह दूसरा लॉ स्कूल है। विवि ने पहला शैक्षणिक कार्यक्रम 1998 में शुरू किया। 2022 में इंडिया टुडे द्वारा इसे देश के लॉ कॉलेजों में तीसरा स्थान दिया गया था। विवि हर साल लगभग 120 स्टूडेंट्स को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यूजी के माध्यम से एडमिशन देता है। यह विवि हाईकोर्ट के संरक्षण में संचालित होता है।

प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय

- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय
- माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विवि
- भोज मुक्त विश्वविद्यालय
- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
- अटल विहारी हिंदी विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट

- मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट)
- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
- इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्थान
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
- भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी)
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)
- नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू)
- स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर

फोटो : नवीन बेलवंशी और चंद्रेश माथुर

भोपाल से होगी 'स्टडी इन इंडिया' की शुरुआत

भोपाल सहित मप्र ने शिक्षा के क्षेत्र में बीते दो दशक में बहुत प्रगति की है। एनएलआईयू सहित कई नेशनल स्तर के इंस्टीट्यूट यहां हैं। एनएलआईयू में विदेशों से भी स्टूडेंट्स आकर न केवल शिक्षा ले रहे हैं, बल्कि रिसर्च भी कर रहे हैं। आने वाले समय में 'मेक इन इंडिया' की तरह भोपाल से 'स्टडी इन इंडिया' की शुरुआत होगी। सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने की वजह से यहां स्टूडेंट्स के सामने कॅरियर बनाने की चॉइस बढ़ गई है।

–प्रो. सूर्यप्रकाश, कुलपति, एनएलआईयू

अब भोपाल में ही अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर

पिछले दो दशक में राजधानी में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। प्रतियोगिता के युग में भोपाल ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए दिल्ली या दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ता है। स्टूडेंट्स का पलायन रुका है। अब भोपाल में ही अच्छे कोचिंग संस्थान और ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं, जो गुणवत्तायुक्त शिक्षा दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप मप्र लोक सेवा आयोग के टॉप-10 में से टॉप-6 स्टूडेंट भोपाल व आसपास के जिलों से हैं।

–डॉ. अनिल उपाध्याय, प्रतिज्ञा आईएएस नि:शुल्क कोचिंग संस्थान

Sr **24/59**
Name of Newspaper
पत्रिका
……
Edition **भोपाल**
Date **..03.07.2024**.
Page No…**05**

NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY
Kerwa Dam Road, Bhopal 462044 (M.P.)

Applications are invited from interested and eligible candidates for the following positions, to be filled on contractual consolidated monthly salary basis, under the IPR Chair established by Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Govt. of India, New Delhi, at the National Law Institute University, Bhopal.

1.	IPR Chair Professor	-	01 (One) Post
2.	Research Assistant	-	02 (Two) Post
3.	Secretarial Staff	-	01 (One) Post

Last date of receipt of Applications is 30.07.2024.
For further details please visit our **website : www.nliu.ac.in**
M.P. Madhyam/115184/2024 **REGISTRAR**

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr.**24/60**.
Name of Newspaper
दैनिक भास्कर
Edition.**भोपाल**
Date .**11.07.2024**
Page No…**08**

एनएलआईयू में एक्स स्टूडेंट एग्जाम 22 से, 25 तक जमा होंगे प्रोजेक्ट

भोपाल| नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट (एनएलआईयू) ने एक्स स्टूडेंट एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत जुलाई-अगस्त 2024 के लिए बीएएलएलबी ऑनर्स (बैच 2017 से 2019) , एलएलएम 2022/2023 और एमसीएलआईएस बैच 2021/2022 की परीक्षाएं 22 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित होंगी। जो भी एक्स स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे उन्हें परीक्षा फार्म भरने के बाद फीस परीक्षा शाखा में 18 जुलाई तक जमा करनी होगी। यह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। एनएलआईयू ने स्पष्ट किया है जिन अभ्यर्थियों के फार्म समय सीमा में जमा नहीं होंगे वे परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ एक्स स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट फैकल्टी से संपर्क कर उनके पेंडिंग प्रोजेक्ट जमा करने और चेक रिपोर्ट के साथ परीक्षा शाखा में जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया को 25 जुलाई तक पूरा करना होगा।

Sr.**24/62**
Name of Newspaper
पत्रिका
Edition **भोपाल**
Date .**20.07.2024**
Page No 03(My City)

पत्रिका

एनएलआइयू में कार्यक्रम आयोजित

भोपाल @ पत्रिका. नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के ज्ञान मंदिर पुस्तकालय में नव प्रवेशित स्नातक बीए एलएलबी और बीएससी एलएलबी के छात्रों के लिए पुस्तकालय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य नए सदस्यों को पुस्तकालय की संसाधनों सेवाओं और नियमों से अधिक परिचित कराना हैं ताकि वे अधिक लाभ उठा सकें। पुस्तकालय द्वारा विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और रिमोट एक्सेस सर्विस का उपयोग किस तरह किया जाता है यह भी बताया कि संचालन पुस्तकालय सहायक कोमल पटेल व मोहित गुप्ता द्वारा किया गया।

20/07/2024 | Bhopal |
Page : 7
Source :
https://epaper.patrika.com/

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Bar & Bench

Sr.**24/54**
Name of Newspaper
Times of India.
Education Times
Edition **Delhi**
Date **03.06.2024**.
Page No. **10**

Experts blame degrading legal education standards as 51% fail the BCI exam 2023

Lack of regional language textbooks is a problem law colleges face

Ayushi.Gupta1
@timesgroup.com

In a recent RTI response, the dismal performance of law students came to light as 51.4% of students failed the All India Bar Examination (AIBE) 18th edition. Responding to the RTI, BCI revealed that around 74,368 students failed to qualify for the BCI exam, for which 1,48,781 students had registered, making the pass percentage stand at 48.36%.

There have been reports on BCI making changes in the exam pattern, which might get tougher. This may further lower the performance of the students.

PHOTO FOR REPRESENTATION

NO. OF REGISTERED CANDIDATES: 1,48,781	
PRESENT	1,44,014
ABSENT	4,767
PASS	69,646
FAIL	74,368

Degrading standards

The results declared in March showed the poor performance of students, which has raised concerns from the legal community, academics and lawyers. Talking to *Education Times*, Faizan Mustafa, vice-chancellor, Chanakya National Law University, Patna, says that the pass percentage in all the competitive exams has not been high, in general. "There is a huge disparity in standards of legal education, between the National Law Universities (NLUs) and several central universities (CU), government colleges, and private colleges. Several colleges affiliated with CUs do not have set parameters of education-

vernment colleges, and private colleges."

"Many students do not take the competitive exam seriously as the number of attempts is not capped. Other

ries and other infrastructural needs to offer a conducive environment to students."

Many affiliated colleges under a renowned university fail to maintain the same educational standards. Mustafa says, "What matters is providing good legal literature and textbooks. Several colleges are lenient in their internal evaluations, which restricts a reality check for students."

Blaming the degrading standards of law colleges, Prof Balakista Reddy, former

Sr. **24/50**
Name of Newspaper
Times of India,
……………………..
Edition **New Delhi**
Date .**10.05.2024**.
Page No…**07**

Sr. **24/51**
Name of Newspaper
दैनिक भास्कर
Edition **भोपाल** .
Date .**10.05.2024**
Page No…**10**

Sr **24/52**
Name of News Portal
Live law.

UR … n/department-of- … 7742

Sr 24/53
Name of News Portal

URL … epartment-of- …
and- … y-nliu-bhopal

NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY
Kerwa Dam Road, Bhopal-462044 (M.P.)

Applications are invited for the Three Months Advanced Certificate Programmes in [Cyber Laws and Cyber Forensics, Alternative Dispute Resolution, Securities Law and Capital Markets and Labour Laws] for the academic session 2024-25. Last date of submission of the online application form is **25.06.2024 (Tuesday).**

For further detailed information kindly visit the website : **www.nliu.ac.in.**

M.P. Madhyam/114592/2024 **REGISTRAR**

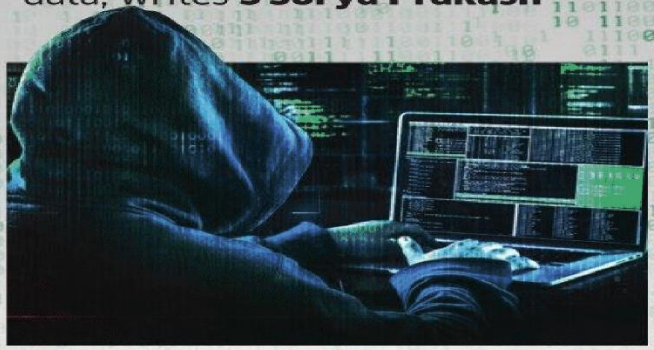

Law graduates must learn to legally deal with online frauds

Limitations under IT Act, made the Parliament pass a comprehensive law for the protection of digital data, writes **S Surya Prakash**

After the establishment of the World Trade Organisation (WTO), the nations are driven by market forces. Digital data acquires more importance due to its impact on the progress and survival of the corporate sector, as the sector cannot run without the availability of data, thus, it is known as the 'New Oil'. However, the demand for digital data has led to competition among corporations to acquire data from the stakeholders. In India and the United States of America (USA), phishing attacks are quite common, millions of online bank customers have lost their money.

Amidst the continuous evolution of technology, personal data being floating around can increase the vulnerability of the data to crimes of fraud, cyberattacks, cyberbullying, and more. Understanding the need to have a full-fledged legal framework around the protection of personal data, law students should be taught about the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, and its intricacies.

There is a need for legal framework around the DPDP Act, 2023 and its inclusion in law education

Need for data protection law

All WTO member countries have an obligation under the agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) to safeguard digital data and to make laws accordingly. The TRIPS Agreement Article 10(2) provides a

The DPDP Act, 2023 the rights of the individuals to protect their personal data and the need to process such data for lawful purposes. The Act applies to the processing of personal data within India collected online or offline and is digitised. It applies to such processing outside India, relating to offering goods or services in India. The DPDP Act, 2023, is similar to the General Data Protection Regulation, 2018, of the European Union.

New roles

The act will address law students to some new terms and their usage, terms such as consent manager, data fiduciary, data principal, data protection officer, digital personal data, personal data breach, significant data fiduciary, etc, with specific legal obligations for data safety, timely reporting of data breaches and use of data by government agencies for lawful purposes and more. The act also envisages the establishment of the Data Protection Board of India, with a chairperson and other members. The board also plays the role of a civil court

Sr.24/47
Name of Newspaper
राज एक्सप्रेस
……..
Edition…भोपाल
Date .23.04.2024….
Page No…04……

ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड कार्यक्रम के तहत पूरा विवि बना रीडिंग जोन

किताबों में रुचि जगाने एनएलआईयू में हुआ अनूठा आयोजन

भोपाल। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में पुस्तकों और पाठकों के बीच बढ़ती दूरी को कम करने तथा लोगों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सोमवार को राजधानी स्थित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, एनएलआईयू में ज्ञान मंदिर यानि विश्वविद्यालय पुस्तकालय और मिनिंगलेश क्लब द्वारा आगामी विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में डीईएआर यानि ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान पूरा विवि परिसर एक बड़े पुस्तकालय की तरह नजर आया। जिसमें कोई भी पाठक अपनी इच्छानुसार कहीं भी बैठकर पढ़ सकता था। इसके लिए खास तौर पर विवि को रीडिंग जोन घोषित किया गया था। कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए यहां सेल्फी पाइंट भी बनाया गया था। इसके अलावा पाठकों से उनकी पसंदीदा पुस्तकों, लेखकों और उनकी अभिरूचियों के बारे में भी जानकारी पूछी गई। आयोजन में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और छात्र-छात्राओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया।

इस अनूठे आयोजन की रूपरेखा कुलपति प्रो. एस सूर्य प्रकाश और कुलसचिव विवेक बक्षी के मार्गदर्शन में पुस्तकालय प्रभारी मोहित गुप्ता और उनकी टीम ने तैयार की। आयोजन में मीनिंग लेश क्लब के संयोजक रंजन कुमार एवं छात्र संयोजक मोनीश रघुवंशी और सलोनी अग्रवाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

Sr.24/48
Name of Newspaper
The Pioneer.
……
Edition Bhopal.
Date ..23.04.2024…
Page No 02…

NLIU organises unique program 'Drop Everything and Read'

PNS ■ BARWANI

National Law Institute University (NLIU) Bhopal, on Monday took a unique initiative and organized D.E.A.R.(Drop Everything and Read).

This program was organized by Gyan Mandir (The University Library) and Meaningless Club of NLIU to celebrate the upcoming World Book and Copyright Day in line with the UNESCO's theme "Read Your Way'. This initiative saw a 30-minute reading session across campus, involving faculty, administrative staff, guards, and students engrossed in reading books, newspapers, magazines, or any material of their choice.

The aim was to integrate reading into daily routines. The objective of this program was to reduce gap between books and readers which is happening due to addiction/over usage of social media and disruptive technologies.

This Program aims to re-develop the habit of reading in the readers and attract them towards books. During this program from 04:00PM to 04:30 PM the entire university campus turned like a library in which any reader could sit anywhere as per their choice and read as per his wish and the reading material has distributed among all as per their choice. Further during this period, the entire university was declared a reading zone and all regular work/programs were postponed during the period. To make program popularized and meaningful Various selfie points were installed, a special board was set up with thought-provoking questions for participants to engage with, such as their favorite book/Character they relate most across genres and the hypothetical title of a book they would write.

Further Bookmarks were distributed among the readers. Over 900 individuals enthusiastically participated in the event, indicating its success and potential for future iterations. In this program, all the officers, teachers, employees, Conservancy staff, security personnel, Students of the university participated enthusiastically. The outline of this initiative was given by Hon'ble Vice-Chancellor Prof.(Dr.) S.Surya Prakash and Registrar Vivek Bakshi and executed by Mohit Gupta, Library Incharge, along with all the library staff in collaboration with Meaningless Club Faculty Incharge Ranjan Kumar, Student Convenor Monish Raghuvanshi, and Saloni Agarwal and other members.

Sr.24/46
Name of Newspaper
The Hitavada
……..
Edition Print,Bhopal
Date ..23.04.2023
Page No 03…

TheHitavada
Bhopal City Line | 2024-04-23 | Page- 3
ehitavada.com

'D.E.A.R' campaign organized ahead of World Book Day

Vice Chancellor of the university Professor (Dr) S Surya Prakash during the D.E.A.R session.

■ **Staff Reporter**

NATIONAL Law Institute University (NLIU), Bhopal, took a unique initiative and organised D.E.A.R. (Drop Everything and Read). The program was organised by Gyan Mandir (The University Library) and Meaningless Club of the NLIU to celebrate the upcoming World Book and Copyright Day in line with the UNESCO's theme 'Read Your Way'. The initiative saw a 30-minute reading session across campus, involving faculty, administrative staff, guards, and students engrossed in reading books, newspapers, magazines or any material of their choice. As stated, the objective of this programme was to reduce gap between books and readers which is happening due to addiction/over usage of social media and disruptive technologies.

During this program from 4 pm to 04:30 pm the entire university campus turned into a library in which any reader could sit anywhere as per their choice and read as per his wish and the reading material has distributed among all as per their choice. Further, during this period, the entire university was declared a reading zone and all regular work/programs were postponed during the period.

Over 900 individuals participated in the event. The outline of this initiative was given by Vice-Chancellor Professor (Dr) S Surya Prakash and Registrar Vivek Bakshi while it was executed by Mohit Gupta, Library Incharge.

Sr24/44
Name of Newspaper
दैनिक भास्कर
……..
Editionसिटी भोपाल
Date 23.04.2024
Page No 02

इंटरनेशनल बुक एंड कॉपीराइट्स डे सेलिब्रेशन के तहत कॉलेज ग्रुप्स की पहल

आधे घंटे के लिए एनएलआईयू का पूरा कैंपस बना लाइब्रेरी, 800 लोगों ने सब काम छोड़ पढ़ीं किताबें

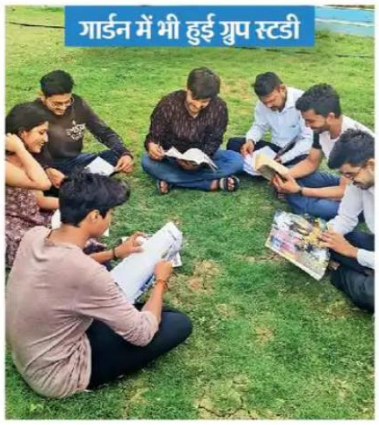

सिटी रिपोर्टर। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में सोमवार को इंटरनेशनल बुक एंड कॉपीराइट्स डे सेलिब्रेट किया गया। कॉलेज की लाइब्रेरी ज्ञान मंदिर और मीनिंगलेस क्लब की ओर से हुई एक्टिविटी ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड के तहत पूरे कैंपस को आधे घंटे के लिए लाइब्रेरी की तरह साइलेंस जोन डिक्लेयर कर दिया गया।

वीसी कैबिन

गार्ड रूम

एक दिन पहले इश्यू कराई किताब

शाम 4 बजे इस एक्टिविटी के तहत कॉलेज के वाइस चांसलर प्रो. एस सूर्यप्रकाश समेत 800 स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेम्बर्स और ऑफिस स्टाफ ने अपनी-अपनी पसंद की किताबें पढ़ीं। खास यह थी कि इस एक्टिविटी में कैंपस के गार्ड्स ने भी हिस्सा लिया और गार्डरूम में बैठकर ही अपनी पसंद की मैग्जीन को आधे घंटे का वक्त दिया। लाइब्रेरी इनचार्ज मोहित गुप्ता, मीनिंगलेस क्लब के मेम्बर्स रंजन कुमार, मोनिश रघुवंशी और सलोनी अग्रवाल ने इस पूरी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट किया। ऐसे में लोगों की पसंद की किताबें, मैग्जीन और रिसर्च जनरल्स एक दिन पहले ही इश्यू कराकर उनके पास पहुंचाए।

Sr 24/45
Name of Newspaper
नव दुनिया
Edition भोपाल.
Date 23.04.2024.
Page No. 02

एनएलआइयू परिसर बन गया रीडिंग जोन

भोपाल: विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ाने और आदत विकसित करने के लिए राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआइयू) ने सोमवार को एक नई पहल की। विवि के पूरे परिसर को रीडिंग जोन घोषित किया गया। विवि के पुस्तकालय एवं मीनिंगलेस क्लब द्वारा मंगलवार को विश्व पुस्तक एवं कापीराइट दिवस के उपलक्ष्य में रीडिंग कार्यक्रम डिअर (ड्राप एवरीथिंग एंड रीड) का आयोजन किया गया।

इसका उद्देश्य इंटरनेट मीडिया एवं इंटरनेट के युग में पुस्तकों और पाठकों के बीच दूरी को कम करना एवं पाठकों में फिर से पढ़ने की आदत विकसित कर उन्हें पुस्तकों की ओर आकर्षित करना था। इस दौरान पूरा विवि प्रांगण एक पुस्तकालय की तरह नजर आ रहा था, जिसमें कोई भी पाठक अपनी इच्छानुसार कहीं भी बैठकर पढ़ रहा था। इस दौरान विवि के सभी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, और विद्यार्थियों ने किताबें पढ़ी।

एनएलआइयू के परिसर में रीडिंग कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी। • नवदुनिया

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr 24/43
Name of Newspaper
पीपुल्स समाचार
Edition भोपाल
Date ..23.04.2024
Page No 11…

वर्ल्ड बुक डे आज: किताबों और पाठकों के बीच बढ़ाई जा रहीं नजदीकियां

रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने कैंपस में मुहिम, वहीं क्लब्स कर रहे बुक रिव्यू और टॉक

iamBHOPAL **Special**

प्रीति जैन • IamBhopal
Mobile no. 9827080406

बच्चों और युवाओं को वर्चुअल वर्ल्ड से निकालकर किताबों की दुनिया से जोड़ने के प्रयास शुरू हो चुके हैं, जिसके जरिए किताबें खुद पाठकों तक तो कभी पाठक किताबों तक पहुंच रहे हैं। शहर में यंग थिंकर फोरम, क्लब लिटराटी, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, छतनारा व साहित्यिक संस्थाएं लगातार इस तरह के प्रयास कर रही हैं।

इसी कड़ी में वर्ल्ड बुक डे के मौके पर नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) में सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। कैंपस के डायेक्टर से लेकर गार्ड तक सभी रीडिंग करते दिखे। 30 मिनट के लिए यूनिवर्सिटी के सभी कार्य रोक दिए गए और कैंपस को रीडिंग टाइम जोन घोषित किया गया और इस दौरान जो जहां था, उसे वहीं रीडिंग करना थी या लाइब्रेरी या पसंद की जगह पर बैठकर पढ़ना था।

एनएलआईयू के डायरेक्टर प्रो. सूर्यप्रकाश भी बने 30 मिनट रीडिंग टाइम जोन का हिस्सा।

ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड कैंपेन के दौरान कैंपस में हरियाली के बीच पुस्तक पढ़ती एनएलआईयू की छात्रा।

एनएलआईयू में शुरु हुआ ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड कैंपेन

एनएलआईयू में रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देने के लिए ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड मुहिम शुरू की गई है। इसका मकसद पुस्तकों व पाठकों के बीच की दूरी कम करना है। इसके लिए एक समय पर एक साथ 30 मिनट रीडिंग करना जरूरी होता है, इसमें यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से लेकर गार्ड तक को शामिल किया गया है। वर्ल्ड बुक डे की पूर्व संध्या पर 30 मिनट के लिए कैंपस को रीडिंग टाइम जोन घोषित किया गया। यहां सेल्फी पॉइंट्स लगाए गए, जिसमें पाठकों को उनकी पसंदीदा पुस्तक, किरदार के बारे में लिखना था। साथ ही यह भी लिखना था कि यदि वह पुस्तक लिखते तो उसका क्या शीर्षक होता। इस मौके पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे बुकमार्क भी दिए गए।

-मोहित गुप्ता, लाइब्रेरी इंचार्ज

साल में 100 पुस्तकों का सुनते हैं सार

मैंने मैनिट से इंजीनियरिंग करने के बाद यंग थिंकर्स फोरम शुरू किया और तब चुनिंदा स्टूडेंट्स ही बुक रिव्यू के लिए आते थे, साल 2019 में यह शुरुआत की थी, आज हमारे पास युवाओं द्वारा किए जाने वाले बुक रिव्यू का पूरा शेड्यूल है, जिसमें अगले कुछ महीनों की बुकिंग्स चल रही हैं। यह पूरी तरह से निशुल्क कार्यक्रम होता है, जिसमें युवा जो भी स्तरीय पुस्तक पढ़ते हैं, बाकि श्रोता एकत्रित होकर उस पुस्तक का सार सुनते हैं, फिर श्रोता उसके विचार सुनते हैं और अपने सवाल-जवाब या उस विषय से जुड़े कोई संदर्भ या उसी विषय पर लिखी किसी पुस्तक पर बात होती है। तो इस तरह पूरे साल में लगभग 100 किताबों की समरी या सार सुनने को मिल जाता है। फिर जिसकी रुचि जागती है, वो उस किताब को पूरा भी पढ़ सकता है।

-आशुतोष सिंह ठाकुर, फाउंडर वाईटीएफ

भोपाल शेक्सपियर फेस्ट का आयोजन

शहर में हर हफ्ते बुक टॉक से लेकर बुक रिव्यू जैसे कार्यक्रम होते हैं तो वहीं सलाना कार्यक्रमों में विश्वरंग और भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से देश ही नहीं विदेशी लेखकों को सुनने व मिलने का मौका मिलता है, जिससे बच्चों व युवाओं में पाठक बनने के गुण विकसित हो रहे हैं। इससे न केवल कला-संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, हेरिटेज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी व फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे विषयों पर उनकी समझ बढ़ रही है बल्कि उनका व्यक्तित्व विकास भी होता है। इस समय हम क्लब लिटराटी के माध्यम से भोपाल शेक्सपियर फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शेक्सपियर के नाटकों पर चर्चा से लेकर उनके मंचन तक किए जा रहे हैं। वहीं हमारे ग्रुप के मेंबर्स बच्चों के लिए स्टोरीनामा जैसे सेशन भी लाइब्रेरी में करते हैं।

-डॉ. सीमा रायजादा, प्रेसिडेंट, क्लब लिटराटी

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr **COD/SDI**
Name of Newspaper
Hindustan Times
……
Edition **New Delhi**
Date ...**11.03.2024**
Page No…**01**

INDIA, EFTA SIGN TRADE DEAL, TO CREATE MILLION JOBS IN 15 YEARS

Rajeev Jayaswal and Rezaul H Laskar

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: India and the European Free Trade Association (EFTA), comprising Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, on Sunday signed a trade deal securing duty-free access for Indian rice to the bloc, easy services exports and a "binding commitment" on investments of $100 billion and creation of a million jobs over 15 years.

The Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) will also ease imports of high-value wine, chocolates and watches from the four countries. Swiss chocolates and watches of brands such as Rolex, Omega and Cartier are set to become cheaper for Indian consumers.

India will give duty concessions on chocolates, watches and wine, but wine costing below $5 won't enjoy concessions to protect local manufacturers, a commerce ministry official said requesting anonymity. →P11

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. 25/05
Name of Newspaper
Dainik Bhaskar
Edition. Bhopal
Date .18/03/2025
Page No. 09

NLIU • यह कोर्स भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था

साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम से किया किनारा, बीसीआई को दिया जवाब

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू), भोपाल ने साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी में मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी) प्रोग्राम से खुद को अलग करने का फैसला किया है। इस कोर्स को फिलहाल संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के नोटिस के जवाब में एनएलआईयू भोपाल ने यह कदम उठाया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि वह सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन करेगा। जब तक पूरी स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक इस प्रोग्राम को वापस लिया गया है।

बीसीआई ने एनएलआईयू भोपाल और आईआईटी इंदौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में पूछा था क्या यह कोर्स बीसीआई के नियमों के अनुरूप है। एनएलआईयू भोपाल ने जवाब दिया कि यह कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। टेक्नोलॉजी और कानून का अनूठा समावेश है। एनएलआईयू ने बीसीआई को भेजे जवाब में स्पष्ट किया कि यह कोर्स आईआईटी इंदौर और एनएलआईयू भोपाल का संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेषज्ञ तैयार करना है। चूंकि यह कोर्स मुख्य रूप से साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है, इसे ऑनलाइन मोड में पेश किया गया था।

न एलएलएम, न बीसीआई के दायरे में

एनएलआईयू ने कहा कि यह कोर्स एलएलएम या उसके समकक्ष नहीं है। इसे करने से छात्रों को एलएलएम के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। इस कोर्स में टेक्नोलॉजी और लॉ का मिश्रण है। आईआईटी इंदौर साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराता है, जबकि एनएलआईयू छात्रों को साइबर कानून की जानकारी देता है। एनएलआईयू ने कहा कि यह कोर्स भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आने वाले 10-20 वर्षों में कई अन्य संस्थान भी इसी तरह के कोर्स चला सकते हैं। एनएलआईयू के अनुसार, यह कोर्स मुख्य रूप से उन पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है, जो पहले से किसी संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपनी दक्षता बढ़ाना चाहते हैं। इसमें न्यूनतम एक साल का कार्य अनुभव अनिवार्य रखा गया है, ताकि इसमें केवल अनुभवी लोग ही प्रवेश ले सकें।

बीसीआई के सामने विश्वविद्यालय ने अपना पक्ष रखा है। अब बीसीआई जो निर्णय लेगा, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगा। फिलहाल विवि ने इस कोर्स को वापस लेने का निर्णय लिया है।
-विवेक बख्शी, रजिस्ट्रार, एनएलआईयू

Sr **24/38**
Name of Newspaper
नव दुनिया (सिटी).
Edition **भोपाल** .
Date **..25.03.2024**.
Page No **04**

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता स्पर्धा में जोधपुर विजेता

एनएलआइयू-आइएनडीआर की बीच अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता

एनएलआइयू में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान मंच पर अतिथिगण। ● सौजन्य आयोजक

नेशनल ला इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआइयू) द्वारा एनएलआइयू-आइएनडीआर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियागिता का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की विशेष रूप से उपस्थिति रहे । न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक रास्ते के रूप में मध्यस्थता के महत्व पर जोर दिया।

विशेष रूप से समकालीन कानूनी परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताया। उन्होंने मध्यस्थता अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रविधानों की जानकारी दी। साथ ही मुकदमे पूर्व मध्यस्थता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया। समारोह में एनएलआइयू के कुलपति प्रो. डा. एस. सूर्य प्रकाश, जान लैग आइएनएडीआर बोर्ड सदस्य और शिकागो, यूएसए में प्रैक्टिसिंग वकील और सहायक प्रोफेसर नेहा शर्मा मौजूद रहीं।

स्पर्धा में भारत और सिंगापुर की 30 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। तीन दिन चले इस मध्यस्थता के बीच सभी टीमों ने प्रदर्शन किया। इसमें सेमीफाइनल में विचार-विमर्श हुआ, जिसमें दो टीमों के चयन हुआ। नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर और नेशनल ला यूनिवर्सिटी जोधपुर का। दोनों टीमों ने मध्यस्थता तकनीकों में अपनी महारत का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जोधपुर विजेता और नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर उपविजेता रहा।

Sr **24/39**
Name of Newspaper
Free Press Journal
……..
Edition…**Bhopal**
Date .**25.03.2024**
Page No…**05**

NLIU-INADR INTERNATIONAL MEDIATION TOURNAMENT

National Law University Jodhpur emerges winner

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

National Law University, Jodhpur, emerged as the winner of the 12th edition of the NLIU-INADR International Mediation Tournament.

National University of Singapore was runner-up of the contest. They showcased their mastery of mediation techniques.

It was part of the concluding-day of a three-day tournament organised by the National Law Institute University (NLIU), Bhopal, to showcase the prowess of budding legal minds in the field of mediation. Over 30 teams from India and Singapore took part through rigorous rounds of mediation.

The event began with an opening ceremony graced by Retd Justice Hemant Gupta. He emphasised the significance of mediation as an alternative avenue for dispute resolution, particularly highlighting its relevance in the contemporary legal landscape. He shed light on key provisions of the Mediation Act, 2023, underscoring its role in fostering pre-litigation mediation.

The ceremony was also braced by the presence of Prof S Surya Prakash, vice-chancellor of NLIU; John Lag, a distinguished board member of INADR and a practising lawyer in Chicago, USA, and assistant professor Neha Sharma, the faculty in charge of NLIU's Alternative Dispute Resolution Cell.

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr No. **24/24**
Name of Newspaper
राज एक्सप्रेस
……..
Edition…**भोपाल** .
Date ...**17.03.2024**
Page No **09**

एनएलआईयू में 13 वें दीक्षांत समारोह का आयोजन

विद्यार्थियों को प्रदान किए गए डिग्रियां और मेडल

भोपाल। भदभदा रोड स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में शनिवार को 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ह्रषिकेश रॉय ने यूनिवर्सिटी विजिटर के रूप में अपना उद्बोधन दिया। इस मौके पर लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने विधि के क्षेत्र में बीते सालों में आए बदलावों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी बात की साथ ही अपने पेशे में ईमानदारी और उच्च जीवन मूल्यों को अपनाने पर पर भी जोर दिया। वहीं इस मौके पर मप्र उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. (डॉ.) एस. सूर्य प्रकाश ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं। कार्यक्रम में विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह के मौक पर कानून के क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोगों के साथ ही यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. **24/25**
Name of Newspaper **Pioneer**
Edition. **Bhopal.**
Date .**17.03.2024**.
Page No …………

NLIU Bhopal celebrates 13th convocation in its premisdes

STAFF REPORTER ■ BHOPAL

National Law Institute University (NLIU), Bhopal, proudly concluded its thirteenth convocation ceremony, honouring the exceptional achievements of the B.A. LL.B. (Hons.) batch of 2023, LL.M. batch of 2023, MCLIS batch of 2023.

The ceremony took place at the esteemed Justice J.S. Verma Memorial Convention Centre.

The event was graced by the esteemed presence of Justice Hrishikesh Roy, Judge of the Supreme Court of India and Visitor of the University, who presided over the ceremony.

Adding to the grandeur, degrees were conferred by Hon'ble Justice Ravi Malimath, Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court and Chancellor of the University.

The event also saw participation of Justice Satyendra Kumar Singh (Lokayukta, MP), Justice SK Palo (Deputy Lokayukta, MP), Prashant Singh (Advocate General, Govt. of MP), Prem Singh Bhadoria (Chairman, State Bar Council of MP), Kishore Shrivastava (Senior Advocate, Supreme Court of India), Naman Nagrath (Senior Advocate, Supreme Court of India), Prof. (Dr.) R Ventaka Rao (Vice-Chancellor, IILUER Goa), Prof (Dr.) Vijender Kumar (Vice-Chancellor, MNLU Nagpur), Mr. Surendra Sinh (Former DGP, MP), Harinarayan Mishra (Commissioner, Bhopal), Justice Hrishikesh Roy in his address, discussed life after graduation, highlighting Prof. NR Madhav Menon's contributions to NLUs.

He shared anecdotes of legal luminaries like Sir Dinshah Fardunji Mulla, inspiring the audience about the path to legal excellence. The Visitor also spoke about Justice Leila Seth's life and emphasized the importance of physical health in law. Additionally, he explored the connection between theatre and law practice, offering valuable insights to graduates for their legal journey.

In his welcoming address, the Vice-Chancellor, Prof. (Dr.) S. Surya Prakash, illuminated the remarkable journey of NLIU and its significant achievements over the past few years. The ceremony highlighted the outstanding academic achievements of the students.

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. **24/26**
Name of Newspaper
Free Press Journal
……..
Edition…**Bhopal**
Date **...17.03.2024**…
Page No…**04**

13TH CONVOCATION AT NILU

217 students get degrees; 9 gold, 5 silver medals awarded

Toppers say they will work for society and cyber security

OUR STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

In all, 217 students of BA LLB (Hons), LLM and MCLIS of 2023 batch received degrees at the 13th convocation of National Law Institute University held here on Saturday. Nine gold medals, five silver medals and one bronze medal were awarded to students.

Diksha Bhatt received five gold medals and one silver medal for overall 1st rank in BA LLB. (honours). Supreme Court Judge Justice Hrishikesh Roy awarded degrees to the students. He discussed life after graduation, highlighting professor NR Madhav Menon's contribution to NLU.

Supreme Court Judge Justice Harishkesh Roy, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court Ravimalimath present degrees to students at 13th convocation at NLIU on Saturday

COMBINATION OF KNOWLEDGE & POWER

I am currently working as a legal associate in a firm in Mumbai. I have received 5 gold medals and 1 silver medal. I have done BA LLB honours from here. I am inspired by my maternal grandfather and my parents. I believe that law is a combination of knowledge and power. What you read in books is different from what you face in life. I want to work to bring change in society.

DIKSHA BHATT

WOMAN SHOULD KNOW THEIR RIGHTS

I have received gold medal in constitutional and administrative law. I used to listen to the teacher's lectures carefully. I want common citizens to have knowledge of law and their rights. That's why I studied law. I am currently teaching law as an assistant professor in a private university in Raipur. I believe every woman should know her rights. I want to do PhD. It is my dream to become a professor.

SHRUTI SRIVASTAVA

THE FREE PRESS JOURNAL Sun, 17 March 2024
https://epaper.freepressjournal.in/c/74754717

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr…**24/20**.
Name of Newspaper
दैनिक भास्कर
Edition…**भोपाल**
Date .**17.03.2024**
Page No…**19**…

एनएलआईयू का दीक्षांत समारोह... 217 स्टूडेंट्स को मिलीं डिग्रियां

दीक्षा ओवरऑल टॉपर, जीते 5 गोल्ड और 1 सिल्वर

13वां समारोह

सिटी रिपोर्टर . भोपाल

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) भोपाल में शनिवार को 13वां वार्षिक दीक्षांत समारोह मनाया गया। इसमें 2020, 2021, 2022 और 2023 बैच के 217 स्टूडेंट्स को बीएएलएलबी, एलएलएम और एमसीएलआईएस की डिग्रियां और मेडल दिए गए। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, विश्वविद्यालय के चांसलर, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रवि मलिमथ और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एस. सूर्यप्रकाश मौजूद रहे।

समारोह में बीएएलएलबी ऑनर्स की स्टूडेंट दीक्षा भट्ट ओवरऑल टॉपर रहीं। उन्हें 5 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर न्यायमूर्ति रॉय ने स्टूडेंट्स को कॉलेज और डिग्री से परे कानूनी जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बताया। उन्होंने एनएलआईयू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर एनआर माधवमेनन जैसे दिग्गजों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया।

वाह... एक साथ 6 मेडल!

फोटो | अनिल दीक्षित

दीक्षा को मेडल देते मप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ, सुप्रीम कोर्ट के जज ऋषिकेश रॉय, डीन यूजी डॉ. घयूर आलम

इनको मिला एक-एक गोल्ड मेडल

मैं भोपाल से ही हूं। मुझे ह्यूमन राइट्स इन क्रिमिनल लॉ के लिए गोल्ड मेडल मिला है। मैंने मास्टर एनएलआईयू से की है। अब मैं ज्युडिश्यरी के लिए तैयारी कर रही हूं। मैंने एक बार एग्जाम क्लियर भी किया था, लेकिन पास नहीं कर पाई। मैं एक बार और एग्जाम देना चाहती हूं। मैंने क्रिमिनल लॉ में एलएलएम किया है, जो मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट है।
-श्रेया सरैया, गोल्ड मेडलिस्ट

मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। मुझे साइबर लॉ के लिए गोल्ड मेडल मिला है। अब लगता है एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कानून बनाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते रेगुलेशन पर काम करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं भी काम करूंगा।
- वैभव शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट

लॉ में नॉलेज-ताकत दोनों हैं, इसलिए इसमें जाने का सोचा

मुझे 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला है। मैं ग्वालियर की रहने वाली हूं और मुंबई में कारपोरेट लॉ फर्म में जॉब कर रही हूं। अभी मैं बीएएलएलबी ऑनर्स टॉपर बनी हूं। कुछ टाइम और जॉब करूंगी। इसके बाद मास्टर करने की सोचूंगी। घर से मैं पहली वकील बनी हूं। यह फैमिली के लिए बड़ा अचीवमेंट है। मैंने सोचा नहीं था कि कभी एक साथ 6 मेडल जीतूंगी। लॉ में नॉलेज और ताकत दोनों हैं, इसलिए इसमें जाने का सोचा। घर वालों का भी सपोर्ट था कि इसी में करियर बनाना है।
-दीक्षा भट्ट, गोल्ड मेडलिस्ट

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr **24/21**
Name of Newspaper
पत्रिका(प्लस)
……………………….
Edition **भोपाल**
Date ..**17.03.2024**.
Page No…**III**

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का 13वां दीक्षांत समारोह

स्टूडेंट्स ने कहा-सोसाइटी में बदलाव और साइबर सिक्योरिटी के लिए करेंगे काम

पत्रिका plus रिपोर्टर
patrika.com

भोपाल. नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू), भोपाल ने शनिवार को अपना 13वां दीक्षांत समारोह जस्टिस जे.एस. वर्मा मेमोरियल कन्वेंशन सेंटर में भव्य तरीके से आयोजित किया। इस समारोह में 2022 और 2023 बैच के 217 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्राप्त हुईं। समारोह में ओवरऑल टॉपर रैंक 1 गोल्ड मेडल दीक्षा भट्ट को मिला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष जस्टिस हृषिकेश रॉय ने की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जस्टिस रवि मलिमथ द्वारा डिग्रियां दी गईं। इस कार्यक्रम में जस्टिस सत्येन्द्र कुमार सिंह (लोकायुक्त, म.प्र.), जस्टिस एस.के. पालो (उप लोकायुक्त, म.प्र.), प्रशांत सिंह (महाधिवक्ता, म.प्र. सरकार), प्रेम सिंह बहदोरिया (अध्यक्ष, स्टेट बार काउंसिल ऑफ) भी शामिल रहे।

नॉलेज और पॉवर का कॉम्बिनेशन है लॉ

मैं फिलहाल मुंबई की एक फर्म में लीगल एसोसिएट के रूप में काम कर रही हूं। मुझे 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। मैंने यहां से बीए एलएलबी ऑनर की पढ़ाई की है। मेरे नाना और मेरे पेरेंट्स से मैं बहुत इंस्पायर हूं। अपने पास ज्ञान का सागर और आस-पास बदलाव लाने के लिए पॉवर की होनी चाहिए और यह दोनों चीजें मुझे लॉ की पढ़ाई में नजर आईं इसलिए मैंने लॉ के क्षेत्र को चुना। मेरा मानना है कि लॉ नॉलेज और पॉवर का कॉम्बिनेशन का है। जो आप किताबों में पढ़ते हैं वो अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। **- दीक्षा भट्ट**

मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में गोल्ड मेडल मिला है। मैं चाहती हूं कि आम नागरिकों को कानून और उनके हक का ज्ञान हो। इसीलिए मैंने लॉ की पढ़ाई की। मैं फिलहाल रायपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लॉ पढ़ा रहीं हूं। मेरा मानना है कि हर महिला को अपनी राइट्स पता होनी चाहिए। मैं आगे पीएचडी करना चाहूंगी। प्रोफेसर बनेंगी यही मेरा सपना है। **- श्रुति श्रीवास्तव**

सोसाइटी, गवर्नमेंट, सिस्टम आदि ये सब कैसे काम करते हैं... मेरी हमेशा से इस चीज में रुचि थी इसलिए मैंने लॉ करने का फैसला लिया। मुझे एल एल एम ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ में गोल्ड मेडल मिला है। बहुत खुश हूं। मैं जज बनना चाहती हूं। वर्तमान में भारत के न्याय पद्धति पर बहुत भार है, मैं चाहती हूं सबको जल्दी न्याय मिले। **- श्रेया सरैया**

मुझे मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर लॉ एंड इनफार्मेशन सिक्योरिटी में गोल्ड मेडल मिला है। मैं गुरुग्राम बेस्ड एक कॉर्पोरेट ऑफिस में इनफार्मेशन एंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूं। मुझे शुरू से ही साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ में इंटरेस्ट था। मैंने देखा कि साइबर लॉ में स्किल्ड वर्कर की कमी है। एक लॉ स्टूडेंट इसमें कॅरियर बना सकता है। **- वैभव शर्मा**

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr **24/22.**
Name of Newspaper
नव दुनिया सिटी
……………………..
Edition…**भोपाल**
Date .**17.03.2024**….
Page No…**01**

बिखरेंगे छग की कला संस्कृति के रंग... II www.naidunia.com

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षा समारोह में विद्यार्थियों को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए गए। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने कैप उछालकर डिग्री मिलने की खुशी का इजहार किया। • मोहम्मद अबरार खान

एनएलआइयू के दीक्षा समारोह में 217 विद्यार्थियों को उपाधि, नौ गोल्ड सहित 15 मेडल दिए गए

दीक्षा पूर्ण, मेहनत से पूरा सपना सुनहरा

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआइयू) के 13वें दीक्षा समारोह में न्यायमूर्ति के हाथों डिग्री और मेडल पाकर कानून के विद्यार्थी अभिभूत नजर आए। शनिवार को विधि परिसर में आयोजित दीक्षा समारोह में वर्ष 2023 में उत्तीर्ण हुए 217 विद्यार्थियों को बीए एलएलबी, एलएलएम और एमसीएलआइएस की डिग्री प्रदान की गई। इस मौके पर नौ गोल्ड, पांच सिल्वर और एक ब्रांज मेडल भी विशेष प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। चार गोल्ड और एक सिल्वर मेडल प्राप्त कर दीक्षा भट्ट ओवर आल टापर बनीं। दीक्षा समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय व विधि के चांसलर और मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रवि मलिमथ के हाथों डिग्री और मेडल पाकर विद्यार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस मौके पर न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय ने अपने संबोधन में डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कालेज और डिग्री से परे कानूनी जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराया। न्यायमूर्ति राय ने डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को संतुलित जीवन शैली और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी। विधि के वाइस चांसलर एस. सूर्यप्रकाश ने प्रमुख ला फर्म और विधिक संस्थाओं के साथ हो रहे साझा कार्यक्रमों के बारे में बताया।

पांच गोल्ड और एक सिल्वर मेडल लेकर टापर बनी दीक्षा को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय डिग्री देते हुए। • नवदुनिया

मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। मेरे इस गोल्ड मेडल से मुझे लगता है एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे साइबर ला के लिए गोल्ड मेडल मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कानून बनाने की जरूरत है। मैं कहीं न कहीं अपना योगदान देश के लिए दे सकूं।
- वैभव शर्मा, स्वर्ण पदक विजेता

मैं भोपाल की रहने वाली हूं। बीए एलएलएलबी की पढ़ाई एनएलयू, कटक (ओडिशा) से करने के बाद एलएलएम की पढ़ाई एनएलआइयू भोपाल से की है। कटक के बाद यहां भी पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल मिला। मैं अपने परिवार की पहली लड़की हूं, जिसने ला की पढ़ाई की है।
-श्रेया सरैया, स्वर्ण पदक विजेता

नाना जी की प्रेरणा से चुना ला को करियर के रूप में : दीक्षा

टापर दीक्षा भट्ट अपने नानाजी के साथ। • नवदुनिया

दीक्षा समारोह में पांच गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर दीक्षा भट्ट ओवर आल टापर बनीं। उन्होंने एलएनआइयू से बीए एलएलबी आनर्स का पाठ्यक्रम 2023 में पूरा किया है। ग्वालियर की रहने वाली दीक्षा ने बताया कि कानून की पढ़ाई करने वाली अपने परिवार से वे पहली हैं। अपने नाना से प्रेरणा लेकर ला को करियर के रूप में चुना, जोकि प्राचार्य थे। दीक्षा ने बताया कि आज डिग्री के साथ ही चार गोल्ड और एक रजत पदक पाकर अभिभूत हूं। कानून की फील्ड में नालेज और शक्ति का मिश्रण है। इस क्षेत्र में और अनुभव लेने के बाद तय करूंगी की आगे क्या करना है। जज की तैयारी भी शुरू कर सकती हूं।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr…**24/23**
Name of Newspaper
Times of India
……………………..
Edition…**Bhopal**
Date .**17.03.2024**.
Page No…**04**

NLIU hosts 13th convocation ceremony

TIMES NEWS NETWORK

Bhopal: The National Law Institute University (NLIU) in Bhopal held its 13th convocation ceremony on Saturday to felicitate meritorious students of BA LLB (honours) batch of 2023, LLM batch of 2023 and MCLIS batch of 2023.

The event, which took place at Justice JS Verma Memorial Convention Centre, was attended by the Supreme Court Justice Hrishikesh Roy and the university visitor, who led the ceremony. Chief Justice of Madhya Pradesh high court, Justice Ravi Malimath and the varsity chancellor, conferred degrees to the graduates.

In his speech, Justice Roy reflected on life after graduation and the legacy of Prof NR Madhav Menon in national law universities.

A Moeed Faruqui

Supreme Court Justice Hrishikesh Roy and Chief Justice of Madhya Pradesh High court, Justice Ravi Malimath felicitate law graduates at the 13th annual convocation of NLIU in Bhopal on Saturday

He shared stories of legal luminaries like, Dinshah Fardunji Mulla, inspiring the audience with tales of legal excellence.

The discussion also touched upon the life of Justice Leila Seth and the importance of physical health in the legal profession. Vice-chancellor Prof (Dr) S Surya Prakash highlighted NLIU's journey and accomplishments in recent years.

The ceremony recognized the academic excellence of students with awards such as Pt Ramlalji Sharma Memorial Silver and Gold Medals, Justice Nani A Palkhiwala Memorial Gold Medal and Dr Ajay Dubey and Dr Animesh Dubey Gold Medal. The students, who were awarded included, Koustav Bhattacharya, Diksha Bhatt, Tejas Sateesha Hinder, Amritya Singh, Sharqa Tabrez, Shruti Shrivastava, Aana Sharma, Shreya Saraiya and Vaibhav Sharma.

The convocation ceremony celebrated academic excellence and recognized the hard work of both students and faculty.

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr **24/19**.
Name of Newspaper
दैनिक जागरण
……………………..
Edition…**भोपाल**
Date .**17.03.2024**
Page No. **08**

217 छात्रों को डिग्री, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नौ गोल्ड पांच सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल से किया सम्मानित

एनएलआईयू में 13वें दीक्षांत समारोह : दीक्षा भट्ट बनीं ओवरऑल टॉपर

छाया : एचसी

जागरण सिटी रिपोर्टर। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआइयू) का 13वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 2023 में उत्तीर्ण हुए 217 विद्यार्थियों को बीएएलएलबी, एलएलएम और एमसीएलआइएस की डिग्री प्रदान की गई। वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नौ गोल्ड, पांच सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। चार गोल्ड और एक सिल्वर मेडल प्राप्त कर दीक्षा भट्ट ओवरऑल टापर बनीं। वहीं समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के चांसलर और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रवि मवलमथ उपस्थित थे। उन्होंने छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

लॉ में नॉलेज और पावर दोनों है

बीएएलएलबी (ऑनर्स) की छात्रा रहीं दीक्षा भट्ट पांच गोल्ड और एक सिल्वर के साथ ओवरऑल टॉपर बनीं। दीक्षा बताती हैं कि शुरु से मेरी सोच थी कि लाइफ में नॉलेज और आसपास बदलाव करने का पावर होना चाहिए और ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ लॉ में ही है। वर्तमान में एक कॉर्पोरेट फर्म में एसोसिएट के रुप में काम कर रही हूं। इस कॉलेज में इसी लक्ष्य के साथ आई थी कि समाज के लिए कुछ योगदान दे सकूं।

जूडिश्यरी की तैयारी कर रही हूं

एलएलएम से पीजी कंप्लीट करने वालीं श्रेया संरेया बताती हैं कि मैं अपने परिवार की पहली वकील हूं और अभी जूडिश्यरी की तैयारी कर रही हूं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एग्जाम दे चुकी हूं, लेकिन कारणवश इंटरव्यू में नहीं हो सका था। फिलहाल सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रही हूं। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें समाज से सीधे तौर पर संबंध होता है, इसीलिए मैंने अपने करियर के लिए लॉ को चुना।

साइबर अवेयरनेस की समाज में जरुरत

वैभव शर्मा ने मास्टर इन साइबर लॉ एंड इन्फोर्मेशन सिक्योरिटी से पीजी कंप्लीट किया है। उन्होंने बताया कि आज समाज को साइबर अवेयरनेस की जरुरत है। हमारे देश में साइबर क्राइम के खिलाफ कई कानून हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों को जागरुक करने वाले एक्सपर्टस की कमी है। फिलहाल मैं एक एसोसिएट कंसल्ट के रुप में एक लॉ फर्म में काम कर रहा हूं। मेरे पिता भी जबलपुर हाईकोर्ट में वकील हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से यहां तक पहुंचा हूं।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr.**24/29**
Name of Newspaper
हरिभूमि
……………………..
Edition **भोपाल** .
Date **17.03.2024**
Page No…**02**

एलएलएम 2022 के 3, एमसीएलआईएस 2021 के 1 और बीएएलएलबी ऑनर्स 2018 के 11 सहित कुल 15 पदक प्रदान किए

एनएलआईयू के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री और पदक से किया सम्मानित

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राजधानी स्थित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। इसमें विवि के विभिन्न विद्यार्थियों को उनकी डिग्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस हृषिकेश रॉय ने विवि के विजिटर के रूप में दीक्षांत उद्बोधन किया। न्यायाधीश रवि मलिमथ (मुख्य न्यायाधीश म.प्र उच्च न्यायालय एवं कुलाधिपति राष्ट्रीय विधि संस्थान विवि, भोपाल) ने पात्र छात्र-छात्राओं को उपाधि एवं स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए।

इन्हें मिली डिग्री और पदक

दीक्षांत समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के पात्र विद्यार्थियों को डिग्री से सम्मानित किया गया। इन उपाधियों में एलएलएम 2020 के एक, पूर्व छात्र एलएलएम 2021 के एक, पूर्व छात्र एलएलएम 2022 के (50), एमसीएलआईएस 2021 के (54) विद्यार्थियों को उपाधि से सम्मानित किया। इसके साथ ही बीएएलएलबी (ऑनर्स) के (111) सहित कुल 217 उपाधियां विभिन्न पाठ्यक्रमों के पात्र विद्यार्थियों को प्रदान की गई। वहीं स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों प्रदान करने वाले विद्यार्थियों में एलएलएम 2022 के (3), एमसीएलआईएस 2021 के एक और बीएएलएलबी (ऑनर्स) 2018 के (11) पदक सहित कुल 15 पदक प्रदान किए गए हैं।

Sr **24/30**
Name of Newspaper
मध्य स्वदेश
……
Edition…**भोपाल**
Date **..17.03.2024**
Page No…**02**

दीक्षांत समारोह... मिल गई डिग्री

भोपाल। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में शनिवार को 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधियां और डिग्रियां प्रदान की गईं। इस दौरान विद्यार्थियों ने कुछ इस अंदाज में खुशी को जाहिर किया।

Sr.**24/31**
Name of Newspaper
स्वदेश
……
Edition…**भोपाल**
Date **...17.03.2024**
Page No **04**

स्वदेश

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में 13वें दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन

2023 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को एलएलएम एवं एमसीएलआईएस की डिग्री प्रदान

स्वदेश संवाददाता,भोपाल

राजधानी स्थित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआईयू) में शनिवार को 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया । समारोह में वर्ष 2023 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को बीएएलएलबी, एलएलएम एवं एमसीएलआईएस की डिग्री प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, विश्वविद्यालय के चांसलर और मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रवि मलिमथ, और विश्वविद्यालय के कुलपति एस. सूर्यप्रकाश अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर, विजिटर, अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद और वित्तीय समिति के सदस्यों ने एकेडमिक प्रोसेशन में हिस्सा लिया। वाइस चांसलर सूर्यप्रकाश ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पूरे शैक्षणिक वर्ष में संस्थान द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों और प्रतियोगिताओं पर प्रकाश डाला।

विद्यार्थियों को संतुलित जीवन शैली बनाए रखने की सलाह

इन विद्यार्थियों को मिला गोल्ड सिल्वर मेडल

बीएएलएलबी (ऑनर्स), 2023 बैच के प्रथम वर्ष में प्रथम रैंक के लिए पं. रामलालजी शर्मा मेमोरियल सिल्वर मेडल कौस्तुव भट्टाचार्य, द्वितीय वर्ष में प्रथम रैंक के लिए पं. रामलालजी शर्मा मेमोरियल सिल्वर मेडल दीक्षा भट्ट, तृतीय वर्ष में प्रथम रैंक के लिए पं. रामलालजी शर्मा मेमोरियल सिल्वर मेडल तेजस सतीश हिंदर, चौथे वर्ष में प्रथम रैंक के लिए पं. रामलालजी शर्मा मेमोरियल सिल्वर मेडल अमृत्या सिंह पं. रामलालजी शर्मा मेमोरियल गोल्ड मेडल, प्रतिभा दुबे मेमोरियल गोल्ड मेडल, जस्टिस गुरु प्रसन्न सिंह मेमोरियल गोल्ड मेडल, जस्टिस जगदीश शरण वर्मा गोल्ड मेडल सहित अन्य को दिया गया।

न्यायामूर्ति ऋषिकेश रॉय ने अपने संबोधन में डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कॉलेज और डिग्री से परे कानूनी जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बताया। उन्होंने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर एनआर माधवमेनन जैसे दिग्गजों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। जस्टिस रॉय ने सर फरदूनजी मुल्ला और न्यायमूर्ति लीला सेठ जैसी कानूनी हस्तियों के योगदान के बारे में अवगत कराया। उन्होंने डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को संतुलित जीवन शैली और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी। समारोह में असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पदक प्रदान कर

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. **24/32**
Name of Newspaper
The Hitavada
(City Line)
Edition…**Bhopal**
Date ...**17.03.2024**
Page No…**04**

TheHitavada
Bhopal City Line | 2024-03-17 | Page- 1
ehitavada.com

'Law is what lawyers are and lawyers are what law schools make them'

■ **Staff Reporter**

LAW is what lawyers are and lawyers are what law schools make them. The following statements was made Justice Hrishikesh Roy, Judge, Supreme Court of India, while delivering the convocation address at the National Law Institute University (NLIU). Justice Roy also serves as the visitor of the university.

On Saturday, NLIU, Bhopal, organised its 13th convocation ceremony at Justice J S Verma Memorial Convention Centre honouring the achievements of the BA LLB. (Hons.) batch of 2023, Master of Laws (LL.M.) batch of 2023, Master of Cyber Law and Information Security (MCLIS) batch of 2023. Justice Hrishikesh Roy, Judge of the Supreme Court of India, and visitor of the university presided over the ceremony. Whereas, the degrees were conferred by Justice Ravi Malimath, Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court, and Chancellor of the University. In the welcome address, the Vice-Chancellor Professor (Dr) S Surya Prakash, illuminated the remarkable journey of NLIU and its significant achievements over the past few years. He said that NLIU is the second law school established in the country after NLSIU Bangalore. The institution from time to time has organised various thought provoking sessions giving equal emphasis on each aspect of law viz Cyber laws, Commercial Laws, Labour Laws and others. He also informed that 14 students in the school have been selected for MP Judicial Services and three in Delhi Judicial Services. Justice Hrishikesh Roy in the convocation address, discussed life after graduation, highlighting Professor N R Madhav Menon's contributions

Contd on page 2

13TH CONVOCATION AT NLIU

The 13th convocation underway at the National Law Institute University (NLIU), Bhopal.

Female outnumber male in rank holders; Diksha Bhatt bags multiple medals

Diksha Bhatt, UG student who bagged 6 medals.

AT THE convocation, females, through their skills and determination outnumbered males in bagging the medals. 7 females were awarded with gold, silver and bronze medal whereas 4 boys were awarded with the same. Diksha Bhatt, an under graduate student at the university, bagged 5 gold and a silver medal. She also received a scholarship from the university of Rs 1 lakh.

Powered by iDocuments

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr **24/33**
Name of Newspaper
अमर उजाला
……
Edition **भोपाल**
Date **...17.03.2024**
Page No…**06**

शाबाश बिटिया...दीक्षा को 5 गोल्ड और एक सिल्वर मेडल

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में मनाया 13वां दीक्षांत समारोह, उपाधियां पाकर खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे

राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्विद्यालय भोपाल में शनिवार को 13वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। वीसी और मुख्य अतिथि ने विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ रही छात्रा दीक्षा भट्ट को उपाधि के साथ-साथ पांच गोल्ड और एक सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया। अमर उजाला

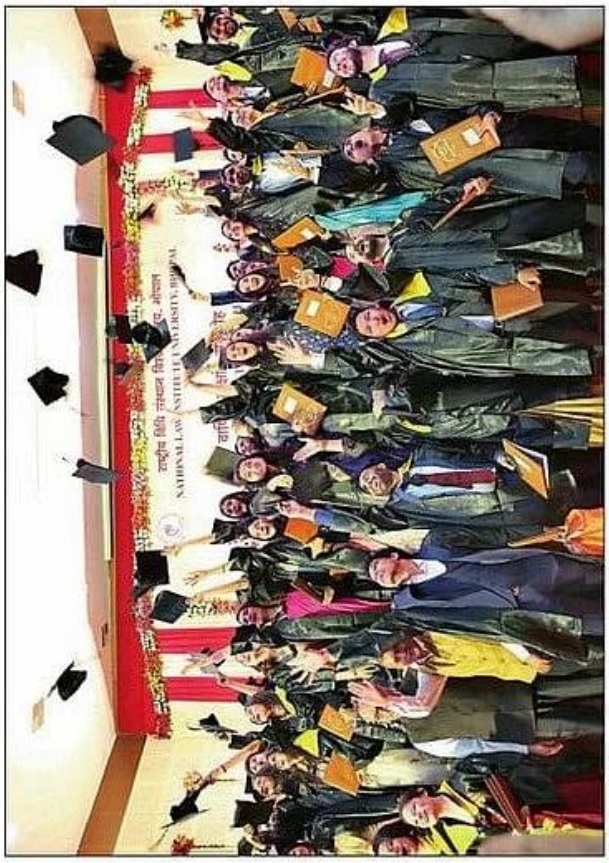

विद्यार्थियों ने स्नातक कैंप को हवा में उछालकर उपाधि मिलने की खुशी कुछ ऐसे बयां की। अमर उजाला

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr. **24/27**
Name of Newspaper
Free Press Journal
……..
Edition…**Bhopal**
Date ...**18.03.2024**…
Page No. **02**

3RD NLIU-LAC WORKSHOP AND TRAINING PROGRAMME

Law students showcase intellectual prowess

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

The 3rd NLIU-LAC Workshop and Training Programme began with essays, contests, discussions and a round table conference at National Law Institute University on Sunday.

The two-day event is being organised by the National Law Institute University Legal Aid Clinic (NLIU-LAC). The first event of the programme was the essay presentation segment. A plethora of essays were submitted, reflecting the vibrant engagement of the participants.

The best six essays were shortlisted for presentation. Yohann Titus Mathew and Sumati Arora secured the first position, followed by Srajal Sharma and Priyam Soni in second place, and Samrudhi Memane and Vanshita Azad claiming the third spot. These presentations were conducted in front of a panel of judges, showcasing the intellectual prowess of the authors.

The event transitioned into the round table conference on the theme 'Building Bridges: Collaborative Partnerships between Legal Aid Organisations, Law Firms and Community Stakeholders'. The conference provided a platform for legal scholars, practitioners and students to exchange ideas and insights.

The round table conference emphasised the critical importance of cooperation between legal aid organisations, law firms and community stakeholders. Delving into the three sub-themes, namely Capacity Building and Training, Innovative Funding Models, and Technology and Digital Inclusion, the conference explored avenues for enhanced collaboration and synergy within the legal ecosystem.

FREE PRESS JOURNAL Mon, 18 March 2024
https://epaper.freepressjournal.in/c/74761563

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Date:……

Sr..**24/28**
Name of Newspaper
दैनिक जागरण
……
Edition…**भोपाल**
Date .**19.03.2024**
Page No. **08**

लॉ कॉलेज के छात्रों ने विविध कानूनों पर किया विमर्श

जागरण सिटी रिपोर्टर। एनएलआईयू-एलएसी द्वारा आयोजित 'तीसरी एनएलआईयू-एलएसी कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम' का सोमवार को समापन हुआ। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कानून के विभिन्न क्षेत्रों के कानूनी विशेषज्ञों, इच्छुक पैरालीगल और लेखकों को एक साथ लाया गया, उन्होंने इस दौरान कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर एवं विचार विमर्श कर एक सफल निष्कर्ष को खोजने का प्रयत्न किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति, प्रो. (डॉ.) एस सूर्य प्रकाश और संकाय प्रभारी, प्रो. (डॉ.) बीर पाल सिंह के स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसके बाद एक विचारोत्तेजक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में निबंध प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न छात्र-छात्राओं ने अपनी सहभागिता की। शीर्ष छह प्रविष्टियों को न्यायाधीशों के अत्यधिक सम्मानित पैनल के सामने प्रस्तुति देने के लिए परिसर आमंत्रित किया गया। निबंध लेखन को प्रस्तुति कर लेखकों ने कानूनी सहायता से जुड़े जटिल मुद्दों की गहरी समझ प्रदर्शित की और नवीन समाधान प्रस्तुत किए।

प्रतियोगिता के बाद गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां विद्वान पैनलिस्टों के समूह ने 'बिल्डिंग ब्रिजः कानूनी सहायता संगठनों, कानून फर्मों और सामुदायिक हितधारकों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी' से संबंधित विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों का पता लगाया। उन्होंने कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर बेहतर सहयोग और तालमेल के रास्ते तलाशे।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr No. **24/34**
Name of Newspaper
राज एक्सप्रेस
……
Edition…**भोपाल .**
Date ...**19.03.2024**
Page No **05**

कानूनी विशेषज्ञों ने की चर्चा

भोपाल (आरएनएन)। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) में एलएसी द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'तीसरी एनएलआईयू-एलएसी कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम' का सोमवार को समापन हुआ। यह कार्यक्रम कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक सफल निष्कर्ष को खोजने का प्रयास था। कार्यक्रम में गोलमेज सम्मेलन हुआ, जहां विद्वानों की पैनल ने 'बिल्डिंग ब्रिज : कानूनी सहायता संगठनों, कानून फर्मों और सामुदायिक हितधारकों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी' से संबंधित विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों पर चर्चा की। पैनल में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनुराग श्रीवास्तव, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेशचंद्र सिंह बिसेन, प्रोजेक्ट 39-ए की संस्थापक सदस्य मैत्रेयी मिश्रा, एनएलआईयू में प्रोफेसर डॉ. बीर पाल सिंह, भारत के विधि आयोग की सदस्य डॉ. राका आर्य, एस एंड ए लॉ ऑफिस के पार्टनर राजदत्त शेखर सिंह और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कृतिका अग्रवाल शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत एनएलआईयू के कुलपति डॉ. एस सूर्य प्रकाश और संकाय प्रभारी डॉ. बीरपाल सिंह की उपस्थिति में हुई।

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr…**24/07**..
Name of Newspaper
दैनिक जागरण
……………………..
Edition: **भोपाल**
Date .**05.02.2024**…
Page No.**08**

एनएलआईयू में हुआ कानून सम्मेलन 'टेक्टोनिक'

जागरण सिटी रिपोर्टर। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआईयू), भोपाल के सेल फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी ने भारत के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और कानून सम्मेलन 'टेक्टोनिक' के बहुप्रतीक्षित तृतीय संस्करण का आयोजन किया। डीपफेक तकनीक से जुड़े हालिया विवादों और गोपनीयता तथा बौद्धिक संपदा को लेकर बढ़ती आशंकाओं के बीच तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में कानून और प्रौद्योगिकी के जटिल अंतःक्षेत्र की गहराई में उतरने का लक्ष्य रखा गया।

टेक्टोनिक 2024, मनु पात्रा, इकिगाई लॉ, लॉक्टोपस और नीति बोध जैसी प्रमुख संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किया गया। इस कार्यक्रम में फेसबुक के एशिया और दक्षिण एशिया क्षेत्र में नीति प्रमुख, पल्लवी स्मृति, और इकिगाई लॉ की सहयोगी, नम्रता मुरुगेशन शामिल रहीं। इस दौरान कानून के जानकारों और तकनीकी क्षेत्र के नवाचारियों को एक साथ लाकर कानून और टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा दिया गया। तीसरे दिन एनएलयू-इकिगाई पॉलिसी केस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड हुए। जिसके बाद समापन समारोह का आयोजन किया गया।

Sr.. **24/08**
Name of Newspaper
पत्रिका..
Edition…**भोपाल.**
Date .. **05.02.2024**.
Page No…**02**…

एनएलआईयू में प्रौद्योगिकी और कानून सम्मेलन

डीपफेक्स तकनीक और बौद्धिक संपदा कानून पर हुआ मंथन

भोपाल. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआईयू) भोपाल के सेल फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी (सीएलटी) ने भारत के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और कानून सम्मेलन 'टेक्टोनिक-2024' का तीसरा संस्करण आयोजित किया। इसमें डीपफेक्स तकनीक से जुड़े हालिया विवादों व गोपनीयता और बौद्धिक संपदा को लेकर बढ़ती आशंकाओं के बीच कानून और प्रौद्योगिकी के जटिलताओं को समझने का प्रयास किया गया। यहां बताया गया कि हाल ही में हुआ रश्मिका मंदाना प्रकरण उभरती तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कानूनी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

तीन दिन चले सम्मेलन में इन विषयों पर हुई बात

इस कार्यक्रम में फेसबुक एशिया और दक्षिण एशिया क्षेत्र में नीति प्रमुख पल्लवी स्मृति, इकिगाई लॉ की एसोसिएट नम्रता मुरुगेशन शामिल हुईं। उद्घाटन समारोह में सीएलटी की संयोजक सलोनी अग्रवाल का मुख्य संबोधन हुआ। उसके बाद एनएलयू के कुलपति एस. सूर्यप्रकाश ने अतिथियों को स्मृति चिह्न प्रदान किए। दूसरे दिन प्रतिभागियों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों और सूचना प्रौद्योगिकी कानून पर बात की। तीसरे दिन प्रौद्योगिकी और कानून के प्रति उनके गहरे जुनून को प्रदर्शित किया गया।

Sr……..
Name of Newspaper
……………………
……………………..
Edition…………….
Date ...…………….
Page No……………

Sr……..
Name of Newspaper
……………………
……………………..
Edition…………….
Date ...…………….
Page No……………

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Date:………………………………

Sr.. **24/10.**
Name of Newspaper
The Free Press Journal
Edition: **Bhopal**
Date **15.02.2024**
Page No **02**

Legal awareness drive held for Bedia community in 4 dists

OUR STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

How do you explain rights and entitlements available to someone who does not know what rights are? That was the question, which the members of Legal Aid Clinic, National Law Institute University, grappled with during legal awareness drive they launched for Bedia community in different districts of Madhya Pradesh fromJanuary 10 to February 10, 2024.

The legal awareness drive sponsored by National Commission for Women was conducted for two months in districts like Bhopal, Vidisha, Raisen and Guna. Each camp was visited by resource persons from Legal Aid Clinic of NLIU Bhopal along with Samvedna team. The camps involved speed mentoring and one-to-one interaction with the people of Bedia community educating them on law and health.

The members of the Clinic informed them about their rights, entitlements and the opportunities available to them for employment and scholarship. They were also educated on how to ask for help and who to ask for help when needed.

The Bedia community has traditionally been involved in intergenerational prostitution and was once considered one of the so-called criminal tribes.

THE FREE PRESS JOURNAL Thu, 15 February 2024 https://epaper.freepressjournal.in/c/74567021

Sr……..
Name of Newspaper
……………………
……………………
Edition……………
Date ...……………
Page No……………

Sr…**24/11**..
Name of Newspaper
दैनिक जागरण
……………………
Edition: **भोपाल**
Date .**15.02.2024**…
Page No.**08**

पीढ़ियों से देह व्यापार के अंधकार में डूबे बेदिया समुदाय तक कानून का प्रकाश पहुंचा रहे एनएलआईयू के छात्र

यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सेल 'लीगल ऐड क्लीनिक' ने एक माह तक चलाई अवेयरनेस ड्राइव

समुदाय के युवा और महिलाओं को कानूनी अधिकारों, रोजगार और सरकारी योजनाओं के प्रति किया जागरुक

प्रशांत व्यास, भोपाल

21वीं सदी के इंटरनेट युग और आगे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की क्रांति में प्रवेश करती दुनिया हर इंसान के लिए अलग होती है। कोई विलासिता की नई ऊंचाईयों को छूने हर दिन जद्दोजहद करता है तो किसी के लिए ऊगता सूरज दो वक्त की रोटी का संघर्ष लेकर आता है। जीवन के इसी संग्राम में एक अलग लड़ाई लड़ रहा है बेदिया समुदाय। सैकड़ों वर्षों से यह समुदाय वेश्यावृत्ति के अंधकार में डूबा है, जिसे न बाहरी दुनिया की खबर है न खुद के अधिकारों की जानकारी। दीन दुनिया से दूर बेदिया समुदाय के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) के छात्रों ने एक अभिनव पहल की। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सेल 'लीगल ऐड क्लीनिक' के सदस्य छात्रों ने प्रदेश के चार जिलों में एक माह तक अवेयरनेस ड्राइव चलाई। इस दौरान उन्होंने बेदिया समुदाय के लोगों तक पहुंचकर उन्हें उनके कानूनी अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई, ताकि वे देह व्यापार के इस दलदल से निकल सकें।

बेदिया समुदाय की महिलाओं को कैम्प में जागरुक करती एनएलआईयू की छात्रा।

लोगों के घर-घर पहुंचकर समझाए लीगल राइट्स

लीगल ऐड क्लीनिक के प्रभारी प्रो. बीरपाल सिंह ने बताया कि बेदिया समुदाय और विशेषकर महिलाओं को कानूनी रुप से जागरुक करने हमने दिसंबर माह से यह योजना तैयार करना शुरु की थी। हमने एक माह तक आठ अवेयरनेस ड्राइव की हैं। इस दौरान हर जिले में दो ड्राइव हुईं। महिला आयोग के साथ छात्रों के दल लोगों के घर-घर पहुंचे और लीगल राइट्स के बारे में जागरुक किया। कैंप में हमने समुदाय के लोगों को बेसिक अवेयरनेस दी और छात्रों ने वन ऑन वन मेंटोरिंग के माध्यम से उनके प्रश्नों के जवाब दिए।

चार जिलों के बेदिया बाहुल्य क्षेत्रों को किया टारगेट

एनएलआईयू में सात वर्ष पूर्व स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था, जिसमें प्रथम वर्ष से लेकर पांचवें वर्ष के कुल 50 छात्र होते हैं। जो सामान्यतः भोपाल या आसपास के पिछड़े क्षेत्रों में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि किसी विशेष समुदाय के कानूनी कल्याण के लिए छात्रों ने कोई पहल की है। महिला आयोग के साथ एनएलआईयू की लीगल ऐड क्लीनिक ने जनवरी माह से बेदिया समुदाय के लिए अभियान शुरु किया था। इसके अंतर्गत एक माह में छात्रों ने भोपाल, विदिशा, रायसेन और गुना के ऐसे क्षेत्रों में पहुंचे जहां बेदिया समुदाय बहुलता में निवास करते हैं। यहां उन्होंने कैंप लगाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकार और सरकारी सुविधाओं से अवगत कराया। जैसे आरक्षण का लाभ, सरकारी दस्तावेज के बनवाने की प्रक्रिया, स्कॉलरशिप तथा रोजगार से जुड़ने के उपाय और समुदाय को सरकार से मिलने वालीं तमाम योजनाओं की हर एक जानकारी दी।

Sr……..
Name of Newspaper
……………………
……………………
Edition……………
Date ...……………
Page No……………

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Date:19.02.2024...

Sr...24/14.....
Name of Newspaper
पीपुल्स समाचार
.....
Edition भोपाल
Date ..19.02.2024
Page No. 06

एनएलयूआई में श्रम कानूनों पर संगोष्ठी

भोपाल। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलयूआई) में श्रम कानूनों पर दो दिवसीय संगोष्ठी हुई। इसमें श्रम कानूनों की 4 नवीन विधान, असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के लाभ, श्रम कानून प्रवर्तन, बाल श्रमिक, मातृत्व लाभ कानून विषयों पर छात्रों ने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए। अनुपम मिश्र, मीमांसा अयाची ने प्रथम, केजी देवैया द्वितीय तथा हर्ष अमीपारा ने तीसरा स्थान पाया। उपकुलपति एस सूर्यप्रकाश ने उन्हें पुरस्कार दिए। पैनलिस्ट जज में एड. जीके छिब्बर, सीके सजी नारायण, एड. पीयूष दिवेदी नई दिल्ली, एड. दीपक कुमार मुंबई, प्रो. जी. सिंह एनएलयू दिल्ली, डॉ हरिओम अवस्थी, डॉ. शोभा भारद्वाज रखे। उपकुलपति एस सूर्य प्रकाश, समन्वयक महेंद्र सोनी ने धन्यवाद दिया।

Sr.....
Name of Newspaper
.....
.....
Edition.....
Date .....
Page No.....

Sr.....
Name of Newspaper
.....
.....
Edition.....
Date .....
Page No.....

Sr.....
Name of Newspaper
.....
.....
Edition.....
Date .....
Page No.....

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Date:…26.02.2024

Sr..**24/16**
Name of Newspaper
दैनिक भास्कर
…………………………
Edition…**भोपाल.**
Date ...**26.02.2024**.
Page No…**01**

एनएलआईयू : पीरियड में छात्राओं को मिलेगा छह दिन का अवकाश

भोपाल | नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) ने मासिक धर्म अवकाश की नीति लागू कर दी है। इसका लाभ बीएएलएलबी सहित सभी कोर्सेस में अध्ययनरत 500 गर्ल्स स्टूडेंट्स को लाभ होगा। वे मासिक धर्म के दौरान अवकाश ले सकेंगी। स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर में प्रति विषय अधिकतम 6 दिन की लीव क्लैम कर सकेंगी।

Sr.**24/17**
Name of Newspaper
पत्रिका
…………………………
Edition भोपाल.
Date **26.02.2024**
Page No **01**

नए कानून 1 जुलाई से होंगे लागू

कॉलेजों में मजाक में भी बनाया आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो तो जेल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. अब कॉलेजों में हंसी-मजाक में आपने आपत्तिजनक वीडियो बनाए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। पहले ये साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते थे। अब नए कानून में ऐसे वीडियो साक्ष्य की तरह पेश होंगे और सजा मिल सकती है।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि वे विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दें। प्रदेशभर के 14.85 लाख विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए यूनिवर्सिटी ने तैयारी शुरू कर दी है। बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी (बीयू) में प्रचार सामग्री के जरिए प्रदर्शनी लगेगी। सेमिनार होंगे। इनमें जस्टिस, वकील, रिटायर्ड जज और संस्थान के फैकल्टी मेंबर जानकारी देंगे।

ऐसा क्यों?

केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा, साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू कर रही है। 164 साल बाद कानून बदले गए हैं। साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट में साक्ष्य की स्वीकार्यता का प्रावधान है। कानूनों में एफआईआर, केस डायरी, आरोप पत्र को डिजिटल बनाने का प्रावधान है। अब 167 के बजाय 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किए हैं। सबूतों के मामले में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जुटाए सबूतों को प्रमुखता दी गई है।

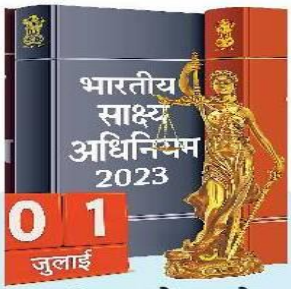

अखंडता को खतरे में डालने पर उम्रकैद

कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अगर शब्दों या संकेतों या ऑडियो-वीडियो के माध्यम से जान-बूझकर अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियां भड़काता है। ऐसी दशा में सात साल या उम्रकैद की सजा हो सकती है।

एक्सपर्ट व्यू

नए कानून को अमल में लाने के लिए अध्ययन की जरूरत है। 164 साल बाद कानून बदले हैं। इसे व्यवहार में लाने में समय लगेगा। विद्यार्थियों को नए कानून की जानकारी देने का फैसला अच्छा है।

रंजन राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी

छात्रों को नए कानून की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे।

आइके मंसूरी, रजिस्ट्रार, बीयू

Sr……..
Name of Newspaper
…………………………
…………………………
Edition……………….
Date ...……………….
Page No……………

Sr……..
Name of Newspaper
…………………………
…………………………
Edition……………….
Date ...……………….
Page No……………

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Date: 26.02.2024

Sr..**24/15**
Name of Newspaper
Times of India
……
Edition…**Bhopal**
Date ...**26.02.2024**
Page No…**01**

NLIU rolls out menstrual leave policy for students

Ramendra.Singh
@timesgroup.com

Bhopal: In a significant step towards promoting inclusivity, the National Law Institute University (NLIU) Bhopal has rolled out an all-encompassing menstrual leave policy, extending its coverage to all students, including women and trans women enrolled in various academic programmes.

The eligibility for claiming deemed attendance in accordance with this policy shall extend to every female student enrolled in any programme who experiences menstrual pain or discomfort related to menstruation which prevents them from attending classes. Provided that at the time of calculation of the final aggregate attendance, the student must have at least 65% attendance in all the subjects taken individually.

The impetus for this progressive move came from the proactive efforts of the Student Bar Association, whose members initiated a thoughtful proposal recognizing the crucial need to address menstrual health considerations within the academic sphere.

Members of the Student Bar Association express their pride in prioritizing the well-being of every student, irrespective of gender identity, emphasizing their ongoing dedication to fostering an inclusive educational space that values the diverse needs of all individuals.

"This is a big initiative and we all welcome this move," said NILU Bhopal student bar association president, Nripraj Bhati.

▶**Continued on P 3**

Sr.**24/15 (Cont.)**
Name of Newspaper
Times of India
……
Edition…**Bhopal**
Date ...**26.02.2024**
Page No…**03**

Initiative showcases impact of student-led endeavours and advocacy of inclusivity

▶**Continued from P1**

This landmark initiative not only showcases the influence of student-led endeavours but also underscores the Student Bar Association's pivotal role in advocating for inclusivity.

Acknowledging the gravity of the matter, the college authorities responded promptly, offering wholehearted support for the swift implementation of the proposed policy.

This supportive and inclusive policy serves as a testament to NLIU Bhopal's commitment to nurturing a compassionate and understanding academic environment.

Furthermore, it establishes a positive precedent for other educational institutions to follow suit.

Students who were unable to attend classes or lectures of any course due to menstrual pain or discomfort shall submit the application to the student section within 7 days of the day in which the absence occurred. TNN

THE POLICY

- **The student shall be granted deemed attendance for specific classes or lectures for every course**, as defined in the ordinances of the National Law Institute University (I of 2023) that **they are unable to attend due to menstrual pain or discomfort**
- **The student may claim deemed attendance for a maximum of 6 classes per subject during a single semester.** This provision applies uniformly to all courses
- **The student can only claim deemed attendance for a maximum of 2 classes per subject in a month.** The 2 classes must be held within a span of 5 days from each other
- Provided that a student who has **an irregular menstruation syndrome or any menstrual disorder including Polycystic ovary Syndrome (PCOS) shall be eligible to claim the deemed attendance for a maximum of 6 classes per subject during a single semester** in any manner they want without the cap of 2 classes per subject in a month. Such a student shall be required to submit a medical certificate duly approved by the University doctor to the student section

APPLICATION PROCEDURE

- Students seeking deemed attendance for specific classes or lectures for any course under this policy, **must initiate the process by completing the designated form provided in Annexure I of this policy**
- Upon completion of the form and inclusion of all necessary details, **students are required to submit the application form to the Student Section within 7 days** of the day they are claiming the attendance
- **The student section shall keep a record of all such applications submitted.** The student section shall, at the time of calculating the final aggregate attendance for the semester, mark the student who fulfils the 65% attendance criteria as "present" for the specific class or lecture of the course, reflecting the deemed attendance granted

GYAN MANDIR (LIBRARY),
NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY, Bhopal
Newspaper Clipping

Sr 24/18
Name of Newspaper
Times of India.
……..
Edition Bhopal.
Date ...29.02.2024
Page No…01

Date:……

HC blasts GNLU over molestations, rapes on campus

Gujarat HC has pulled up GNLU over a "really scary" report revealing incidents of molestation, rape, discrimination, homophobia, favouritism, suppression of voices and lack of an internal complaint committee. "How come this is a national law university," HC asked and decided to form a high-level panel to investigate GNLU's affairs. P5

Sr 24/18
Name of Newspaper
Times of India.
……..
Edition Bhopal.
Date ...29.02.2024
Page No…05

Rapes, molestations unearthed at Guj nat'l law univ. 'Really scary,' says HC

Court Slams Registrar For Saying 'Nothing Happened', Orders Probe

TIMES NEWS NETWORK

Ahmedabad: Incidents of molestation, rape, homophobia and discrimination have been reported on the campus of Gujarat National Law University (GNLU) by a fact-finding committee that submitted its report to Gujarat high court last week. Terming the report "really scary", a bench of Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Aniruddha Mayee on Wednesday blasted GNLU for the incidents and said the university's administration was involved in suppressing the voice of students.

HC had taken a suo motu cognizance of media reports following social media posts that a girl in the university was raped and a queer student was sexually harassed and formed the committee headed by former HC judge Harsha Devani. Earlier, the internal complaint committee of the university and the registrar had brushed aside these allegations.

"How come this university is a national law university? And the registrar is filing an affidavit before us stating that 'nothing happened, close the proceeding'. He had the audacity to say this in the court when it was seized with the matter. How will these people protect the children?" the CJ remarked.

The bench said that the report revealed there were not only two incidents of sexual harassment or rape as mentioned in the social media posts, but there are incidents of molestation, rape, discrimination, homophobia, favouritism, suppression of voices, lack of existence of internal complaint committee (ICC), lack of information to students about ICC.

In the light of the report, HC decided to form a high-level investigation into GNLU's affairs by a competent authority that can also act against erring administrators and faculty members, noting that there are allegations against the registrar, the director as well as against male members of the faculty.

The report showed how faculty members and the GNLU administration stonewalled inquiries on students' grievances.

The judges criticised GNLU for treating students' grievances expressed on social media as an offence, 'as if it would tarnish the university's image'.

"They adopted an adversarial approach. That was the scariest

part of this report. After parents, teachers in hostels or residential colleges play the role of parents…They are children. I am most concerned with law students. They are protectors of law. All these lectures, talks, seminars everything goes to rubbish. It has no meaning at all. If this is a state of affairs in a law college, we cannot show our faces to anyone. We are all responsible for the situation of this system," HC said.

On the grievance of students about silencing their voices, HC said, "Categorical statement is that a victim stated that a politically influential person is involved in suppressing the case before the police. The third (social media) post had been forcefully removed owing to the intervention of the university registrar and warden of the girls' hostel." The court also cited the report as saying that members of the earlier complaint committees behaved in a manner that prevented students from reporting the cases.